सहज®

आठवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष 2021-2022

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

FORTIFIED
With Vitamin A & D
Saahaj®
Vitamin-A
Prevents Night Blindness
Vitamin-D
Supports Strong Bones
किसानो की अपनी कम्पनी
23 क्वालिटी टेस्ट द्वारा पास
स्वाद व शुद्धता की
नई वैरायटी
आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए
GOLD
CHAI SPECIAL
SHAKTI
TAAZA
उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी
SLIM & SMART
FIT & FINE
Dahi
Buttermilk
क्रॉस रोड मॉल, 2nd फ्लोर, प्लाट नं. 5-6, सेक्टर-13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना,
सिकन्दरा-बोदला रोड, आगरा-282007 (उ0प्र0)
टोल फ्री नंबर- 18002740077
www.saahajmilk.com
दुग्ध उत्पादकों की अपनी कम्पनी

निदेशक मण्डल

श्री रजनीश कुमार (डी.आई.एन. 07894245)	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. 07464066)	निदेशक
श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. 07894230)	निदेशक
श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. 08198050)	निदेशक
श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410)	निदेशक
श्री योगेश कुमार जादौन (डी.आई.एन. 08526498)	निदेशक
श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 08526484)	निदेशक
श्री अनरूद्ध कुमार (डी.आई.एन. 08865032)	निदेशक
श्रीमती सपना (डी.आई.एन. 08865085)	निदेशक
श्रीमती प्रेमलता (डी.आई.एन. 08867165)	निदेशक
श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. 09300081)	निदेशक
श्री सौगत मित्रा (डी.आई.एन. 00541858)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह (डी.आई.एन. 06895219)	विशेषज्ञ निदेशक
श्री बसन्त चौधरी (डी.आई.एन. 08277954)	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कंपनी सचिव

श्री वरूण वर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

बैंकर्स

एच.डी.एफ.सी. बैंक, अलीगढ़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आगरा
इंडसइंड बैंक, आगरा
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, आगरा
ऐक्सिस बैंक, आगरा
एच.डी.एफ.सी. बैंक, आगरा
पंजाब नेशनल बैंक, आगरा

पंजीकृत कार्यालय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com
Website : www.saahajmilk.com

आंतरिक अंकेक्षक

अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
गुरुग्राम, हरियाणा

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट्स

लिंक इनटाइम इण्डिया प्रा. लि.
नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एन.एच.–2
सी–1 ब्लॉक, एल.एस.सी सावित्री मार्केट
जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अध्यक्ष सन्देश	3
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	4–30
3.	स्वतन्त्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट	31–44
4.	वित्तीय विवरण 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक	45–71
	(अ) आर्थिक चिट्ठा	45
	(ब) लाभ–हानि विवरण	46
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	47
	(द) नोट्स जो की वित्तीय विवरण का हिस्सा है	48–71
संलग्नक : नौवीं वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बन्धित अनुलग्नक		72–94

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी के मूल्य, ध्येय एवं दीर्घदृष्टि

मूल्य

- ★ ईमानदारी
- ★ दूरदर्शिता
- ★ गुणवत्ता
- ★ पारदर्शिता
- ★ टीम-भावना
- ★ साहस और जुनून
- ★ जागरूकता और जिम्मेदारियाँ सभी स्तर पर
- ★ समय तत्परता

ध्येय

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी अपने सदस्यों के दूध की प्रतिस्पर्धात्मक कीमत देते हुए और दूध उत्पादन बढ़ाने तथा लागत खर्च कम करने के लिए आवश्यक सेवाएँ प्रदान करते हुए उनके दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है।

दीर्घ दृष्टि

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में देश की अग्रणी कम्पनी होगी तथा दूध उत्पादकों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की पहली पसंद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

अध्यक्ष संदेश

प्रिय अंशधारकों,

सहज आज अपने अस्तित्व के आठवें वर्ष में है। सहज का विकास, पूर्ण रूप से, सदस्य किसानों में निरन्तर वृद्धि और सदस्य किसानों के बीच विकसित विश्वास में परिलक्षित हुआ है। वास्तव में, एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली अपनाकर, डेयरी व्यवसाय के विकास के लिए कंपनी के परिचालन क्षेत्र के 10 जिलों में पर्याप्त प्रोत्साहन दिया, अपने सदस्यों के हितों को सुरक्षित रखा है, जिसके फलस्वरूप उन्हें डेयरी आय के द्वारा वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में अपनी आजीविका सुधारने में मदद मिलती है।

आपके निदेशकों को उन सदस्यों को लाभांश की सिफारिश करने में प्रसन्नता हो रही है, जिनके नाम 31 मार्च, 2022 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

प्रत्यक्ष रूप से यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अन्य वर्षों के विपरीत, वर्ष 2021–22 के शुरूआती तीन महीनों में कहर बरपाने वाले नोवेल कोरोना वायरस के कारण बीता साल सबसे कठिन में से एक था। सहज का संचालन भी प्रभावित हुआ लेकिन आप सभी के समर्थन, अन्य हितधारकों और हमारे संचालन को जारी रखने की अदम्य इच्छा के साथ, कंपनी ने सभी बाधाओं को पार किया और सही दिशा में आगे बढ़ती रही। हालांकि हमने जो योजना बनाई थी उसे हासिल नहीं कर सके लेकिन फिर भी नए जोश और जुनून के साथ कारोबार को चलाने में कामयाब रहे।

कंपनी ने 99,476 सदस्यों को जोड़ा, जिसमें से 55 प्रतिशत महिला सदस्य हैं, जो पिछले सभी वर्षों में सबसे अधिक है। कंपनी ने अपने सदस्यों को समय पर दूध भुगतान का ट्रैक रिकार्ड बनाए रखा और सदस्यों के बैंक खातों में रूपये 692.78 करोड़ का भुगतान किया। कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले सदस्यों को कंपनी ने रु. 3.50 करोड़ का प्रोत्साहन भी दिया।

कंपनी ने प्रतिदिन औसतन 5.13 लाख किलोग्राम गुणवत्ता वाला दूध उपार्जन किया है और अपने दूध और दूध उत्पादों का आक्रामक विपणन किया है जिसके कारण 39,069 लीटर/दिन की पीपीएम की बिक्री 2,096 लीटर/दिन छाछ की बिक्री, 2,757 किलोग्राम/दिन दही की बिक्री और 333 मीट्रिक टन घी बेचा है।

अपने प्रमुख कार्यक्रम ''उत्पादकता वृद्धि सेवाएं'' के तहत कंपनी ने अपने सदस्यों के दरवाजे पर अच्छी गुणवत्ता, उत्पादकता बढ़ाने वाले उत्पादों की डिलीवरी जारी रखी। वर्ष के दौरान कंपनी ने ''सहज सुदाना'' ब्रांड नाम के तहत 12,021 मीट्रिक टन पशु आहार और ''सहज मिन'' ब्रांड नाम के तहत 77 मीट्रिक विशिष्ठ टन क्षेत्र खनिज मिश्रण की बिक्री की। चारे की कमी को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उपलब्ध कराया और 32.34 मीट्रिक टन की बिक्री हासिल की। कंपनी ने अपने सदस्य किसानों के लिए 14 किलोग्राम गेहूँ के भूसे के चारे के ब्लॉक की शुरूआत की, जिसे जानवरों ने स्वीकारा और कंपनी ने 11.2 मीट्रिक टन की बिक्री की।

उपरोक्त प्रयासों ने सहज को रु. 828 करोड़ का कारोबार करने में मदद की है और भविष्य में भी कंपनी अपने लक्ष्य को सकारात्मक विकास के रूप में जारी रखेगी।

मैं इस अवसर पर आपके समर्थन और धैर्य के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। कठिन समय में आपके विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ने हमें चुनौतियों का सामना करने में अत्यंत सहायता की है।

आपका विश्वसनीय
ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

निदेशकों की आठवीं रिपोर्ट

निदेशकों को आपके समक्ष 31 मार्च, 2022 तक अंकेक्षित विवरण के साथ कंपनी के संचालन सम्बन्धी आठवीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन :

संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :

रू. लाख में

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल आय	83418.91	77132.35
खर्च सहित कुल लागत	82282.37	75783.25
कर से पूर्व लाभ/हानि	1136.54	1349.10
कर व्यय		
(1) वर्तमान कर	330	395
(2) स्थगित कर	(28.03)	(7.52)
कुल कर खर्च	301.97	387.48
लाभ / (हानि) कर के बाद	834.57	961.62

हमें यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने रू. 82832.44 लाख के कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी का राजस्व रू. 83418.91 लाख दर्ज हुआ है तथा पिछले वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व रू. 77132.35 लाख दर्ज हुआ है था। पिछले वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू. 75783.25 लाख थी तथा इस वर्ष व्यय सहित कुल लागत रू. 82282.37 लाख है। कर पूर्व लाभ रू. 1136.54 लाख का है तथा कर के बाद लाभ रू. 834.57 लाख का है। अंश जिसका अंकित मूल्य रू. 100 है, उसकी प्रति अंश आय रू. 30.88 है जो कि कुल पूँजी रू. 2979.37 लाख के आधार पर है।

सीमित लाभांश (डिविडेंड) :

दुग्ध उत्पादक कंपनी ने अपने सदस्यों को अंश पूँजी पर हर साल लाभांश की घोषणा के साथ–साथ, वितरण भी किया है। कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को ध्यान में रखते हुये, आपकी कंपनी के निदेशकों ने

20 जुलाई, 2022 को आयोजित बोर्ड बैठक में रू. 2979.37 लाख की अंश पूँजी पर रु. 7/– प्रति अंश के लाभांश का सुझाव दिया गया। लाभांश, नौवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31.03.2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

रु. 7/– प्रति समता अंश की दर से वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की राशि रु. 208.56 लाख होगी।

सामान्य संचय में हस्तांतरण :

कंपनी के अन्तर्नियम के प्रावधानों के अनुच्छेद तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के तहत, निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के कर के बाद शुद्ध लाभ में रु. 626.02 लाख की राशि सामान्य संचय में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव रखा है।

दृष्टिकोण

वर्ष 2021–22 वर्तमान दशक का सबसे कठिन वर्ष था, विशेष रूप से हमारे देश के लिए जिसने फरवरी, 2022 के महीने से घातक कोविड–19 से उबरना शुरू किया था। अप्रैल, 2022 के अंत तक, पूरा देश एक अराजकता की स्थिति में फंसा हुआ था। सबसे सख्त लॉकडाउन के चलते लोगों की स्थिति सामान्य होने तक अपने स्थानों पर रहने के लिए कहा गया था।

स्थिति ने उद्योगों की माँग को प्रभावित किया और अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। प्रतिबंधित आवाजाही और सभाओं पर अंतरिम प्रतिबंध के कारण, HoReCa खण्ड से माँग कम हो गई, जिससे दूध और दूध उत्पादों की खपत प्रभावित हुई।

अभूतपूर्व स्थिति ने एसएमपीसीएल की बिक्री को भी प्रभावित किया जिसके कारण दूध को घी और एसएमपी में बदलने की चुनौती पैदा हो गई। जैसा कि एसएमपीसीएल ऐसी चुनौती का सामना पहले भी कर चुकी है, कंपनी अपने मूल्यों से समझौता किए बिना इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी।

कंपनी ने अपने दूध और दूध उत्पाद की बिक्री को अच्छी पेशकश के साथ आगे बढ़ाया जिसने नए ग्राहकों को आकर्षित किया। चूंकि कंपनी की एक अच्छी ब्रांड छवि है, अतिरिक्त वसा और एसएमपी का निपटान कभी भी एक चुनौती नहीं थी।

अपने सदस्यों और ग्राहकों को अच्छी तरह से सेवा देने के अपने केंद्रित प्रयासों के कारण, कंपनी ने

लॉकडाउन के बाद की अवधि को एक अवसर के रूप में लिया और तरल दूध एवं मूल्य वर्धित उत्पादों में बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सशक्त रूप से वापसी की।

संचालन अवलोकन

दूध की खरीद

वित्तीय वर्ष 2021–22 ने सबसे चुनौतीपूर्ण समय देखा क्योंकि पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखा। लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, व्यवसाय बंद हो गए थे और विश्व की अर्थव्यवस्था हिल गई थी।

हमारा देश सबसे अधिक प्रभावित था और देश में अप्रैल, 2021 से जुलाई, 2021 तक पूर्ण लॉकडाउन था। उत्तर प्रदेश राज्य जहाँ कंपनी का दूध खरीद संचालन है, कोविड–19 के हॉटस्पॉट में से एक था। कमजोर अर्थव्यवस्था और कम खपत के कारण, डेयरी उद्योग ने दूध और दूध उत्पादों की माँग में बड़ी गिरावट देखी, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष दूध और घी एवं एसएमपी का बड़ा भंडार था।

कंपनी के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों ने अनिश्चित काल के लिए दूध अवकाश की घोषणा की और उनकी आगे की योजनाओं के बारे में अनिश्चितता थी। दूसरी ओर सहज चुनौती का सामना करने के लिए दृढ संकल्पित थी और दूध खरीद कार्यों को जारी रखने का एक स्पष्ट उद्देश्य था कि डेयरी व्यवसाय से उत्पन्न आय हमारे सदस्यों और अन्य हितधारकों की आजीविका का एक प्रमुख स्त्रोत है। तमाम बाधाओं के बावजूद इसने दूध को लाभकारी मूल्यों पर प्रदान करना जारी रखा।

यह सहज के प्रबंधन के गहन नेतृत्व और टीम के केंद्रित प्रयासों का ही परिणाम था, कि सहज ने अपने पंजीकृत सदस्यों से प्रति दिन 5.13 लाख किलोग्राम गुणवत्ता वाला दूध उपार्जित किया। वर्ष के दौरान, सहज ने रु. 692.78 करोड़ दूध का भुगतान और रु. 3.35 करोड़ प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे अपने पंजीकृत सदस्यों के बैंक खाते में किया।

कठिन समय के बावजूद, सहज ने नई तकनीकों में निवेश करना जारी रखा और रीयल टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए अपने 2जी डीपीयू को 4जी तकनीक से बदला। इस तकनीक के आगमन के साथ ही, सहज ने अपनी दूध भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

कंपनी की मजबूत ब्रांड छवि और अपने सदस्यों के बैंक खाते में दूध भुगतान करने की नीति के कारण, एक प्रमुख निजी बैंक ''एचडीएफसी बैंक'' ने सहज सदस्यों को पशु ऋण की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है।

भविष्य का लक्ष्य

आगे भविष्य में सहज ने 3,400 एमपीपी के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों से प्रतिदिन 5.83 लाख किलोग्राम गुणवत्ता वाले दूध खरीदने की योजना बनाई है और अधिक महिला सदस्यों को जोड़ना जारी रखा है।

कृत्रिम गर्भाधान

सहज का कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, उत्पादकता बढ़ाने वाली सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि गायों और भैसों के आनुवंशिकी को उन पिता के वीर्य के उपयोग के माध्यम से सुधारा जा सकता है जिनमें वांछित लक्षण होते हैं और यदि पीढ़ियों के लिए जारी रखा जाता है, तो बेहतर आनुवंशिकी वांछित परिणाम देगी जो कि दोनों डेयरी एवं किसानों के लिए कुशल और किफायती है।

सहज ने राष्ट्रीय डेयरी योजना I और II के तहत इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रशंसा प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में नस्ल सुधार के क्षेत्र में एक प्रारंभिक प्रवेश किया है। सहज भारत के अत्याधुनिक वीर्य केंद्र ''सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स'' से उच्च गुणवत्ता वाले वीर्य की खरीद करता है और अपने 600 प्रशिक्षित मोबाइल एआई तकनीशियनों (एमएआईटी) के माध्यम से उत्पादक किसानों के दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5,401 गाँवों में अपनी एआई सेवाएं प्रदान की हैं एवं अपने एमएआईटी के माध्यम से 5.35 लाख एआई निष्पादित की हैं और उल्लेखनीय 43% गर्भाधान दर हासिल की है। कंपनी ने इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने के लिए, जर्मनी और डेनमार्क से एचएफ और जर्सी नस्ल के आयातित वीर्य को प्रदान करने की भी पहल की।

सहज ने एनडीडीबी द्वारा शुरू किए गए मैस्टाईटिस कंट्रोल पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम (एमसीपीपी) को सफलतापूर्वक लागू किया है। यह कार्यक्रम गोजातीय में मैस्टाईटिस सहित अन्य सामान्य बीमारियों के प्रबंधन के लिए ''एथनो वेटरनरी मेडिसिन'' (ईवीएम) जैसे लागत प्रभावी, प्रभावोत्पादक और किसान अनुकूल विकल्पों को अपनाकर दवा के उपयोग, विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के युक्तिकरण पर केंद्रित है।

ईवीएम कम लागत वाला उपचार है और दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों को कम करने में मदद करता है क्योंकि यह उप–नैदानिक/क्लिनिकल मैस्टाईटिस और अन्य पशु रोगों के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली महँगी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एमसीपीपी के तहत 322 पशुओं का मास्टिटिस और 1,560 पशुओं का अन्य बीमारियों का इलाज किया गया, जिसमें ठीक होने की दर क्रमशः 85% और 81% थी।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में आगे बढ़ते हुए, कंपनी का लक्ष्य 5.78 लाख कृत्रिम गर्भाधान करना है और अपने परिचालन क्षेत्र में उत्पादक किसानों के बीच एमसीपीपी की अनुकूलन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है।

आहार संतुलन कार्यक्रम

आहार संतुलन कार्यक्रम को एसएमपीसीएल में कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के समकाल ही तैयार किया गया था। ये दोनों कार्यक्रम सहजीवी प्रकृति के हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उच्च आनुवंशिक बछड़े का जन्म दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में केवल एक कदम है लेकिन यदि उसी बछड़े को संतुलित आहार दिया जाए तो वह अपनी अधिकतम दूध उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाएगा। न केवल दूध के मामले में, बछड़ा अपने पूरे जीवन चक्र में बेहतर प्रतिरक्षा के साथ स्वस्थ रहेगा।

कंपनी उच्च आनुवंशिक बछड़ों की उत्पत्ति करने और उत्पादक किसानों के दरवाजे पर गुणवत्ता वाले दूध की उत्पादकता बढ़ाने वाले उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त उद्देश्य पर काम कर रही है।

आरबीपी सेवाओं के तहत, कंपनी बीआईएस मानक के अनुसार **''सहज सुदाना'', ''सहज सुदाना गोल्ड''** और क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण (एएसएमएम) **''सहज मिन''** नाम से बेहतर गुणवत्ता वाला पशु चारा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 12,021 मीट्रिक टन पशु चारा, 77 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण और 32 मीट्रिक टन चारा बीज की बिक्री हासिल की।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में आगे बढ़ते हुए, कंपनी का लक्ष्य 13,814 मीट्रिक टन पशु चारा, 88 मीट्रिक टन क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण और 50 मीट्रिक टन चारा बीज बेचने का है।

बिक्री एवं विपणन

तमाम बाधाओं के बावजूद, ''सहज'' ब्रांड ने अपने उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला दूध और दूध उत्पादों को उपलब्ध कराने में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी बेजोड़ गुणवत्ता का कारण इसकी स्त्रोत प्रक्रिया है, क्योंकि कंपनी अपने दूध उत्पादक सदस्यों से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कच्चे दूध की खरीद करती है और अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र में सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में इसके प्रसंस्करण और पैकेजिंग की व्यवस्था करती है। दूध और दूध उत्पादों को उपयुक्त कोल्ड चेन परिस्थितियों में भेजा जाता है जो उनकी ताजगी बनाए रखने में मदद करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, हमने उत्तर प्रदेश क्षेत्र से बाहर के बाजारों तक अपनी पहुँच बढ़ाई है। 31 मार्च, 2022 तक हमारे वितरण तंत्र में लगभग 50 से अधिक सुपर स्टॉकिस्ट, 500 वितरक और 2,000 से

अधिक खुदरा विक्रेता शामिल थे। उत्तर प्रदेश बाजार के बाहर विस्तार करने की हमारी रणनीति के तहत अपने पहले कदम के रूप में हमने दिल्ली/एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश आदि में नए क्षेत्रीय बाजारों के लिए सेट अप करने से शुरुआत की। वर्तमान में, हम इन नए क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में प्रमुख वितरकों के साथ चुनिंदा रूप से काम कर रहे हैं। भविष्य में हम इन नए क्षेत्रों के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ऐसे ही प्रमुख शहरों और वितरकों की संख्या में धीरे–धीरे वृद्धि करेंगे।

हमने वितरण संसाधनों में सुधार करने के साथ अपने पारंपरिक वितरण चैनलों को मजबूत करना जारी रखा। उपरोक्त क्षेत्रों में हमारे सभी वितरक शीत गृह सुविधाओं से परिपूर्ण थे और वितरण में प्रशीतित/रोधित वाहनों के उपयोग के साथ हम एक चौतरफा शीत परिवहन श्रृंखला को साकार कर रहे हैं। हमने पारंपरिक चैनलों के अलावा विशेष वितरण चैनलों के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। उत्पादों की संख्या वितरण में वृद्धि और बाजार में विस्तार के परिणामस्वरूप, हमारे बिक्री राजस्व, औसत बिक्री मूल्य और हमारे तरल दूध उत्पादों के सकल लाभ में सुधार हुआ है।

वर्तमान में सामान्य व्यापार में हमारा ''सहज'' ब्रांड एक लोकप्रिय नाम है और साथ ही यह अपने उपभोक्ताओं के बीच भी प्रसिद्ध बना हुआ है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पादों के विभिन्न एसकेयू को प्रभावी ढंग से बाजार में उतारा है। कंपनी ने प्रचुरता से विभिन्न एटीएल (अबव द लाइन) और बीटीएल (बिलो द लाइन) अभ्यासों के द्वारा जैसे कि कागज विज्ञापन, दीवार चित्र, ऑटो बैक बैनर, रिटेलर नॉन–लिट साइनेज बोर्ड, बैनर और पोस्टर के माध्यम से ब्रांड की उन्नति की है। कंपनी ने उत्पादों कि ब्रांडिंग को आकर्षक बनाने के लिए अपने दूध और दूध उत्पादों की पैकेजिंग को नया रूप भी दिया है।

आगे बढ़ते हुए कंपनी का इरादा विभिन्न शहरी क्षेत्रों/कार्यक्षेत्रों में अपने दायरे का विस्तार करने का है। इसी तरह कंपनी पनीर, मीठी लस्सी, 1 किलो पॉली में दही, पॉली जार में घी और फ्लेवर्ड दूध पेश करके अपने दूध और दूध उत्पादों की रेंज का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी डिजिटल मार्केटिंग जैसे उन्नत विज्ञापन विधियों को पेश करके अपने उत्पादों को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है। कंपनी अतिरिक्त रूप से एक आकर्षक वेबसाइट को बढ़ावा देने की योजना बना रही है जो आने वाले समय में अपने उपभोक्ताओं को नई गतिविधियों और प्रस्तावों के बारे में शिक्षित करेगी जिसके परिणामस्वरूप अधिक से अधिक ग्राहक हमसे जुड़ेंगे।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी सभी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया और नीचे दी गई तालिका प्रत्येक श्रेणी के तहत बिक्री की उपलब्धि को दर्शाती है –

खंड	इकाई	बिक्री
पीपीएम	लीटर प्रतिदिन	39,069
छाछ	लीटर प्रतिदिन	2,096
दही	किलोग्राम प्रतिदिन	2,757
घी	किलोग्राम प्रतिदिन	921

कंपनी अपने उपभोक्ताओं को, अपने किसान सदस्यों से प्राप्त सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दूध से तैयार उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान कर रही है। सहज दूध और दुग्ध उत्पादों का विवरण और प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं –

प्रकार	वर्ग	संरचना (प्रतिशत) (न्यूनतम)	विभिन्न श्रेणियाँ
गोल्ड	फुल क्रीम मिल्क	6% वसा/9% वसा रहित ठोस	170 मि.ली., 500 मि.ली., 1 ली. तथा 6 ली.
शक्ति	स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क	4.5% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	500 मि.ली., 1 ली., तथा 6 ली.
फैमिली	स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क	4.5% वसा/8.8% वसा रहित ठोस	500 मि.ली. तथा 1 ली.
ताज़ा	टोंड मिल्क	3% वसा/8.5% वसा रहित ठोस	200 मि.ली., 500 मि.ली., 1 ली. तथा 6 ली.
फिट एन फाइन	होमोजिनाईज्ड डबल टोंड मिल्क	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	200 मि.ली., 500 मि.ली., तथा 1 ली.
चाय स्पेशल	होमोजिनाईज्ड डबल टोंड मिल्क	1.5% वसा/9% वसा रहित ठोस	200 मि.ली., 500 मि.ली., तथा 1 ली.
स्लिम एण्ड स्मार्ट	स्किम्ड मिल्क	0.5% वसा (अधिकतम)/ 8.8% वसा रहित ठोस	200 मि.ली., 500 मि.ली., तथा 1 ली.
बटर मिल्क	प्लेन बटर मिल्क	1% वसा / 4.5% वसा रहित ठोस	350 मि.ली., 1 ली.
	स्पाइस्ड बटर मिल्क	1% वसा / 4.5% वसा रहित ठोस	170 मि.ली. तथा 300 मि.ली.

क्लासिक दही	टोंड मिल्क दही	3% वसा / 10.80% वसा रहित ठोस	200 ग्राम तथा 400 ग्राम (पॉलीपैक) 100 ग्राम, 200 ग्राम तथा 400 ग्राम (कप) 5 कि.ग्रा. तथा 15 कि.ग्रा. (मटकी)
फ्रेश दही	डबल टोंड दही	1.5% वसा / 10.80% वसा रहित ठोस	200 ग्राम तथा 400 ग्राम (पॉलीपैक) 100 ग्राम, 200 ग्राम तथा 400 ग्राम (कप) 5 कि.ग्रा. (मटकी)
लाइट दही	स्किम्ड मिल्क दही	0.5% वसा / 11% वसा रहित ठोस	180 ग्राम तथा 400 ग्राम (पॉलीपैक) 5 कि.ग्रा. तथा 15 कि.ग्रा. (मटकी)
घी	घी	99.5% वसा	200 मि.ली. 500 मि.ली. 1 ली. तथा 15 कि.ग्रा (टीन)

उत्पादक संस्थान निर्माण (पी.आई.बी.)

कंपनी ने अधिकतम दुग्ध उत्पादक को कंपनी के सदस्यों के रूप में पंजीकृत करके अपने क्षेत्र में विकास को जारी रखा है। पीआईबी ने पूरे वर्ष कंपनी की सदस्यता नामांकन गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में, कंपनी ने सदस्यता में अधिकतम महिला सदस्यों की भागीदारी दर्ज की, जिसके परिणामस्वरूप 19,814 महिला सदस्यों को नामांकित किया गया, जो कि कुल नामांकित सदस्यता का 73% है, जबकि 27,311 दुग्ध उत्पादकों को कंपनी के पंजीकृत सदस्य के रूप में भर्ती किया गया है।

फलस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में कुल 99,452 सदस्य दर्ज किए गए हैं।

आगे, कंपनी ने कंपनी के सदस्यों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को जागरूकता कार्यक्रमों के रूप में जानकारी वितरित करने के अलावा सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित और सतर्क करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

कंपनी ने 2,602 एमपीपी में ग्राम स्तर पर 10,066 सदस्यों को ग्राम संपर्क समूहों (वीसीजी) के रूप में और 2,752 सदस्यों को दूध मार्ग स्तर पर सदस्य संबंध समूहों (एमआरजी) के रूप में चिन्हित किया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने 40 एमआरजी सदस्यों को 'नेतृत्व विकास कार्यक्रमों' के तहत प्रशिक्षित किया है ताकि उन्हें कंपनी के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता को अब बहुत व्यापक अर्थों में परिभाषित किया गया है, जिसमें न केवल उत्पाद शामिल हैं, बल्कि उत्पादन विधि और उत्पादन इकाई परिवेश भी शामिल है। दूध के मामले में, जिसे अपने स्वयं के घटकों की विशेषताओं के कारण अत्यधिक खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रमुख पानी, वसा, प्रोटीन, लैक्टोज और खनिज आदि की पहचान की गई है।

दूध उत्पादन और प्रसंस्करण के स्तर पर दूध की गुणवत्ता पर विचार किया जाना आवश्यक तत्व है। ऐसे कई कारक हैं जो दूध में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं जैसे कि टीट कैनाल, टीट त्वचा की सतह और फीड।

उपरोक्त के आलोक में, कंपनी ने ग्रामीण स्तर से उपभोक्ताओं तक दूध संग्रह से लेकर सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपाय स्थापित किए हैं। विभिन्न जांच उपायों में कई मिलावटों जैसे चीनी, नमक, यूरिया, वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, माल्टोडेक्सट्रिन आदि के लिए स्क्रीनिंग डॉक स्तर पर की जा रही है और लगभग 28 दूध की अनलोडिंग से पहले दूध गुणवत्ता परीक्षण मानकों का उपयोग किया जा रहा है। हम अपने किसान सदस्यों और क्षेत्र एवं एमसीसी स्तर पर अपने सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए स्वच्छ दूध उत्पादन प्रथाओं, स्वच्छता प्रथाओं, अच्छे विनिर्माण प्रथाओं और अच्छे प्रयोगशालाओं के अभ्यास पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं।

स्थापना के बाद से, दूध की गुणवत्ता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और हम इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, परिणामस्वरूप हमारा मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टाइम (एमबीआरटी) अब वर्ष के दौरान 120 मिनट पर पहुंच गया है।

पूंजी संरचना एवं अंशों का आवंटन और सदस्यता

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी अधिकृत अंश पूंजी में कोई बदलाव नहीं किया है, कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 31 मार्च, 2022 को 45 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने वर्ष के दौरान 100/– रुपये के 5,09,720 समता अंश जारी किए हैं। इसलिए 31 मार्च, 2022 को कंपनी की उपार्जित और प्रदत्त अंश पूंजी रु. 29.79 करोड़ थी।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने समर्पण/सदस्यता रद्द करने के कारण 31,141 सदस्यों के 4,51,275 अंशों को रद्द किया और वर्ष के दौरान नए और मौजूदा सदस्यों को उक्त अभ्यर्पित रद्द किए गए अंशों को पुनः जारी किया गया।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की हैं जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियों को अंशों में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2022 तक, कंपनी ने 99,452 उत्पादक सदस्यों को कंपनी की सदस्यता प्रदान की थी। 31 मार्च, 2022 के पश्चात्, कंपनी ने 6,198 सदस्यों को नामांकित किया और 23,151 सदस्यों की सदस्यता के मानदंडों को पूरा न करने के कारण तथा सदस्यता के निरस्त/आत्मसमर्पण के कारण अभ्यर्पित/रद्द कर दिया गया है। तत्पश्चात्, इस रिपोर्ट की तारीख तक के कुल सदस्यों की संख्या 82,499 है।

श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी से संबंधित सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित वित्तीय वर्षों के दौरान सदस्यता जारी रखने के लिए अपनी–अपनी संबंधित श्रेणी के सभी संरक्षण मानदंडों और शर्तों को पूरा करें।

<u>वार्षिक आम सभा में उपस्थिति एवं मतदान अधिकार</u>

आज की दिनांक में कुल 82,499 सदस्यों में से,

24,373 सदस्यों (जिसमें श्रेणी–ए, श्रेणी–बी एवं श्रेणी–सी शामिल हैं) जिन्होंने संबंधित श्रेणी के संरक्षण के सभी मानदंडों को पूरा किया है, को नौवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों (उनसे संबंधित श्रेणी के निदेशक के चुनाव पर मतदान सहित) पर मतदान करने का अधिकार है।

8,210 सदस्यों को नौवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले सभी प्रस्तावों (उनसे संबंधित श्रेणी के निदेशक (निदेशकों) के चुनाव पर मतदान को छोड़कर) पर मत देने का अधिकार है क्योंकि उन्होंने संरक्षण से संबंधित मानदंडों को पूर्ण नहीं किया है। परन्तु उन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कंपनी में न्यूनतम दिन और लीटर दूध की आपूर्ति की है।

49,916 सदस्य नौवीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने के योग्य हैं, परन्तु उन्हें नौवीं वार्षिक आम सभा में पेश किए जाने वाले किसी भी प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार नहीं है।

31 मार्च, 2022 के पश्चात् जोड़े गए सदस्य वित्तीय वर्ष 2021–22 के लाभांश के साथ–साथ नौवीं वार्षिक आम सभा में मतदान के हकदार भी नहीं होंगे।

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आई.ई.पी.एफ.)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसार किसी भी अदत्त/अनधियाचित लाभांश को निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आई.ई.पी.एफ.) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

बोर्ड की बैठकें

कंपनी के व्यापार में लेन–देन के लिए समय–समय पर बोर्ड की बैठक होती है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की सात बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गयी :

बोर्ड बैठकों की क्र.स.	बोर्ड बैठकों की तिथि	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थिति निदेशक
33 वीं बोर्ड बैठक	27 मई, 2021	15	15
34 वीं बोर्ड बैठक	27 जुलाई, 2021	15	15
35 वीं बोर्ड बैठक	31 अगस्त, 2021	15	13
36 वीं बोर्ड बैठक	27 अक्टूबर, 2021	15	14
37 वीं बोर्ड बैठक	24 दिसम्बर, 2021	15	14
38 वीं बोर्ड बैठक	25 फरवरी, 2022	15	12
39 वीं बोर्ड बैठक	29 मार्च, 2022	14	14

समिति

हित धारक संबंध समिति (स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) के अनुसार, कंपनी के अंशधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति (स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी) का गठन किया गया था। समिति की संरचना इस प्रकार है :

श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष
श्री शिव प्रताप सिंह, सदस्य
श्री बसंत चौधरी, सदस्य

समिति का गठन 25 मार्च, 2021 को किया गया था। वर्ष के दौरान, समिति की बैठक एक बार हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

हितधारक संबंध समिति बैठक संख्या	समिति बैठक की दिनांक	समिति के सदस्य	समिति में उपस्थित सदस्य
प्रथम	29 मार्च, 2022	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

निदेशक मण्डल में परिवर्तन

डॉ. सी.पी. देवानंद एवं श्री अशोक जावा, कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक अपना कार्यकाल पूरा होने के कारण क्रमशः 18 जून, 2021 एवं 13 मार्च, 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। श्री राजकुमार शर्मा, 24 सितम्बर, 2021 को कंपनी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बोर्ड निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रशंसा करता है।

श्री सौगत मित्रा को 27 जुलाई, 2021 से कंपनी के बोर्ड में विशेषज्ञ निदेशक पद पर नियुक्त किया गया था। श्री सुशील कुमार को 24 सितम्बर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। श्री उपेंद्र सिंह एवं श्री शिव प्रताप को 24 सितम्बर, 2021 से कंपनी के बोर्ड में निदेशक के पद पर पुनः नियुक्त किया गया था।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के तहत कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

करने की आवश्यता नहीं है।

निदेशक मंडल की संरचना और आगामी वार्षिक आम सभा में निदेशकों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति

कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 में सदस्यों के संरक्षण एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहाँ तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के संरक्षण के आधार वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किए गए हैं। सदस्यों को संरक्षण के आधार पर तीन अलग–अलग वर्गों अर्थात् श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी में वर्गीकृत करने के लिए संशोधित मानदंड को कंपनी की छठी वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सदस्यों द्वारा संरक्षण मानदंडों की पूर्ति के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि श्रेणी–ए, श्रेणी–बी और श्रेणी–सी के सदस्यों के बीच क्रमशः 26%, 26% और 48% थे। तदनुसार, सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के संरक्षण के आधार पर बोर्ड में सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान करने वाले बोर्ड की संरचना में क्रमशः श्रेणी–ए में 3, श्रेणी–बी में 3 और श्रेणी–सी में 5 निदेशक आते हैं। कंपनी अनुच्छेद 9.5 की आवश्यकता को निम्नानुसार पूरा करती है :–

श्रेणी–ए के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निदेशक हैं। नौवीं वार्षिक आम सभा में ''श्रेणी–ए'' के निदेशकों की श्रेणी में कोई सेवानिवृत्ति नहीं है।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने ''श्रेणी–ए'' के रिक्त पद को भरने के लिए श्री अनिल कुमार जी (कोई श्रेणी नहीं) जो ''श्रेणी–ए'' की रिक्ति को भरने के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, के स्थान पर ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री मानिक चन्द्र की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

श्रेणी–बी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में ''श्रेणी–बी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 निदेशक हैं, इसलिए नौवीं वार्षिक आम सभा में ''श्रेणी–बी'' से किसी निदेशक की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति नहीं होगी।

श्रेणी–सी के निदेशक :

वर्तमान में बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले कंपनी के निदेशक श्री शिव कुमार शर्मा कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगे। श्री शिव कुमार शर्मा ने पात्र/योग्य होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है।

नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड ने ''श्रेणी–सी'' की रिक्ति पद को भरने के लिए श्री शिव कुमार शर्मा की पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है। बोर्ड श्री हरेन्द्र पाल सिंह ''कोई श्रेणी नहीं'' जो ''श्रेणी–सी'' की रिक्ति को भरने के लिए पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है, के स्थान पर ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री राहुल कुमार की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के नाम और योग्यता का विवरण कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ संलग्न है।

कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 9.5 और 9.6 के अनुसार, कंपनी में श्रेणी–ए के 3, श्रेणी–बी के 2 और श्रेणी–सी के 4 निदेशक हो जायेंगे, यदि नौवीं वार्षिक आम सभा में प्रस्तावित नियुक्तियों का अनुमोदन होता है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निर्माता निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण दिए गए :

– नए निदेशकों के निए दिशानिर्देश कार्यक्रम

– नीति शासन के माध्यम से नेतृत्व पर कार्यशाला

– वित्त मॉड्यूल।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि–

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय, लागू लेखांकन मानकों के साथ पठित अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है।

2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है जो इसके तर्कसंगत और उपयुक्त है कि वित्तीय वर्ष में कंपनी के कारोबार की सही स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ का सही एवं उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

4. कंपनी के निदेशकों द्वारा वार्षिक खातों को प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार करवाया है।

5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की हैं और यह प्रणालियां पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

<u>लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट/प्रतिवेदित की गई धोखधड़ी</u>

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला।

<u>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</u>

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही एवं उचित रूप से कार्य कर रही है जो सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं और लेनदेन अधिकृत, रिकार्ड और सही ढंग से रिपोर्ट किए गए हैं। वर्ष के दौरान, प्रणाली की संरचना या संचालन में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट करने योग्य कमी नहीं पायी गई।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF के अंतर्गत, मैसर्स अरनेस्ट एण्ड यंग एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, जिन्होंने स्वतंत्र

रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और बहुसंख्य में लेन–देन का मूल्यांकन किया है।

नियन्त्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियां

कंपनी की कोई नियन्त्रक/सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जमा से संबंधित विवरण के सम्बन्ध में किसी प्रकटीकरण या विवरण देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई जमा नहीं थी।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संबंधित पार्टीयों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेंथ बेसिस थे और सामान्य व्यवसाय संचालन के अनुसार एवं अनुरूप थे। इसके अलावा, कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रवर्तकों, निदेशकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रपत्र AOC–2 में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.)

कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी नीति (सी.एस.आर. नीति) तैयार की है जो कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाती है। बनाई गई नीति का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं को शुरू करना है। बोर्ड द्वारा लागू की गई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी नीति कंपनी की वेबसाइट –
http://www.saahajmilk.com/ policy.aspx पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के

गठन से सम्बन्धित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार सीएसआर गतिविधियों के रूप में चिन्हित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में रु. 35.93 लाख की राशि का योगदान दिया।

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप के अनुसार **संलग्नक–ए** पर संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन की पहचान, मूल्यांकन और प्राथमिकता की प्रक्रिया है जिसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संभावना और / या प्रभाव को कम करने, निगरानी और कम करने / नियंत्रित करने या अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है कि प्रबंधन उचित रूप से परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित कर रहा है। कंपनी द्वारा प्रमुख जोखिमों जैसे की व्यवसाय, वित्तीय, मानवीय और वैधानिक अनुपालन आदि के क्षेत्रों की पहचान की गई है और इनके प्रभाव को कम करने की प्रक्रिया/उपाय तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति विकसित और कार्यान्वित की है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय एवं निकासी

(i) ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (m) के प्रावधानों के तहत ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ii) विदेशी विनिमय आय एवं निकासी

आय–शून्य
निकासी–शून्य

सामान्य कार्यालय और प्रकाश प्रयोजनों को छोड़कर कंपनी ने किसी अन्य प्रकार की विद्युत खपत नहीं है।

सतर्कता तंत्र (विजिल मैकेनिज्म)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र की स्थापना की है और बोर्ड ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी को सर्तकता तंत्र की देखरेख का कार्य सौंपा है। विजिल मैकेनिज्म (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की वेबसाइट http://www.saahajmilkcom/policy.aspx पर उपलबध है।

नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण :

नियामकों, अदालतों, न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है।

लेखा परीक्षक

कंपनी के वैधानिक अंकेक्षक, मैसर्स एस.बी.बिलिमोरिया एंड कंपनी, चार्टड एकाउंटेंट्स को आठवीं वार्षिक आम सभा में पुनः नियुक्त किया गया तथा वह ग्यारहवीं वार्षिक आम सभा जो वर्ष 2024 में सम्पन्न होगी के समापन तक कार्यकाल संभालेंगे।

लागत अभिलेख

धारा 148 के अनुसार लागत लेखा परीक्षा का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/साचिविक परीक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की टिप्पणी

वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को जब लेखा और लेखा नीतियों से संबंधित टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है तो वह स्वः स्पष्ट हो जाती हैं और आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

सचिविक अंकेक्षण कंपनी पर लागू नहीं है।

वार्षिक रिटर्न का वेब लिंक

कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com है। कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
http://www.saahajmilk.com/SubLinkPage.aspx?SubCat=Annual+Reports&Cat=Member

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016

वर्ष के दौरान इंसोल्वेंसी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 (2016 का 31) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

एक मुश्त निपटारे के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण उसके कारण सहित

लागू नहीं।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('आईसीएसआई') द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए एक उचित प्रणाली और प्रक्रिया कंपनी में रखी जा रही है और यह प्रणाली पर्याप्त है एवं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिला। तद्नुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कर्मचारियों का कोई विवरण नहीं दिया जा रहा है।

आभार

कंपनी का निदेशक मंडल समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपने सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के समर्थन और योगदान के लिए उनकी सराहना करना चाहता है। साथ ही साथ निदेशक कंपनी के कर्मचारियों, बैंकरों, आंतरिक और वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा निरंतर सहयोग देने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रदान सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

वास्ते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान : आगरा

संलग्नक–ए

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सी.एस.आर. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1) कंपनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा :

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में वर्णिक गतिविधियों की विस्तृत श्रृखंला शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं :

क) स्वास्थ्य
ख) शिक्षा
ग) स्वच्छता सुविधाएं
घ) पर्यावरणीय स्थिरता
ड़) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना
च) व्यावसायिक कौशल में सुधार
छ) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना
ज) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय
झ) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान
ञ) इन्क्यूबेटरस या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान
ट) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को अंजाम देना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में शामिल होना।

2) सीएसआर समिति की संरचना :

लागू नहीं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी को नहीं है। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर. समिति की उन बैठकों की संख्या जिसमें भाग लिया गया
––– लागू नहीं –––				

3) **वह वेब–लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाऐं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

कंपनी की सीएसआर नीति http://www.saahajmilk.com/policy.aspx पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2021–22 में संचालित की गई कंपनी की सीएसआर परियोजना का विवरण http://saahajmilk.com/LinkPage.aspx?LinkN=CSR+Project पर उपलब्ध है।

4) **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

कंपनी को वर्तमान में कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में प्रभाव मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

5) **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में मुजरे (समायोजन) के लिए उपलब्ध राशि का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष के लिए मुजरे (समायोजन) हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है :**

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई है (रुपये में)
––– लागू नहीं –––			

6) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – रु. 17,96,40,755/–

7) क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत – रु. 35,92,815/–

ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजना का कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष – शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो – शून्य

घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7क+7ख–7ग) – रु. 35,92,815/–

8) क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) अथवा अव्ययित सीएसआर राशि :

	खर्च न की गई (अव्ययित) राशि (रुपये में)				
वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित (खर्च) कुल राशि (रूपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा – विनिर्दिष्ठ किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रु. 35,92,815/–	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्य–कलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का अवस्थिति		परि–योजना अवधि	परि–योजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रूपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सी.एस.आर. खाते में अंतरित की गई राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन रीति सीधे (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन की रीति – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजि–स्ट्रीकरण संख्या
––– लागू नहीं –––												

ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परि–योजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका सीधे (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन की रीति कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधान–मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (Viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	सम्पूर्ण भारत	रु. 35,92,815/–	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल योग					**रु. 35,92,815/–**			

घ) **प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि – शून्य**

ड़) **प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो – लागू नहीं**

च) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड़) – रु. 35,92,815/–**

छ) **समायोजित (सेट आफ) करने के लिए अधिक राशि, यदि कोई हो –**

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो (2) प्रतिशत	रु. 35,92,815/–
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु. 35,92,815/–
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि [(ii) - (i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उद्भूत अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन (सेट आफ) के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	शून्य

9) क) **पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :**

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	समीक्षाधीन (रिपोर्टिंग) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अधीन यथा–विनिर्दिष्ठ किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
––– लागू नहीं –––							

ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना पहचान (आईडी)	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई थी।	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई (व्ययित) राशि (रुपये में)	समीक्षा धीन (रिपोर्टिंग) वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई (व्ययित) संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण की गई / चालू है
––– लागू नहीं –––								

10) **पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सी.एस.आर. व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहीत परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें : लागू नहीं**

परिसंपत्ति – वार विवरण

क) पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि – लागू नहीं

ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि–शून्य

ग) उस कंपनी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का ब्यौरा जिनके नाम से ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति रजिस्ट्रीकृत है, उनका पता इत्यादि – लागू नहीं।

घ) सृजित अथवा अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) का ब्यौरा प्रदान करें (ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और अवस्थिति सहित) – लागू नहीं।

11) **कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो –**

लागू नहीं (कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपना सीएसआर दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाहित किया है।)

रजनीश कुमार
अध्यक्ष एवं निदेशक
डी.आई.एन. : 07894245

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिए स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

राय :

हमने **सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरण जिसमें दिनांक 31 मार्च 2022 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेंस शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण शामिल हैं और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी को उचित तरीके से देते हुए और कम्पनी के साथ पढ़े गए अधिनियम की धरा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, (लेखा मानक) नियम 2006 के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक कम्पनी के मामलों की स्थिति के अनुसार (लेखा मानक) और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए अन्य लेखांकर सिद्धान्तों को संशोधित किया गया है, जो समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ एवं रोकड़ प्रवाह हेतु है।

राय के लिए आधार :

हमने अधिनियम (SAs) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया गया। मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए अंकेक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टड एकाउन्टेन्ट इन्स्टीयूट (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ हैं, जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है, उके अधीन बनाये, हमने इन आवश्यकताओं और ICAI की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि वित्तीय विवरणों पर हमारी आडिट राय पर आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी :

- अन्य सूचनाओं के लिए कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

- वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करती है और हम निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते है।।

- वित्तीय वक्तव्यों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, हमारे उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप में असंगत है, या अंकेक्षण के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी में यह प्रतीत होता है कि भौतिक रूप से गलत होना है।

- हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी या सूचना गलत प्रदर्शित की गई है, तो इस निष्कर्ष को प्रस्तुत करने हेतु कोई भी साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल, वित्तीय विवरणों की तैयारी अथवा संकलन हेतु कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कम्पनी की वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के सम्बन्ध में वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष दृष्टकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन और कम्पनी के नगदी प्रवाह लेखा मानकों और अन्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, धोखाधड़ी, अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन और अभिलेखों का रख रखाव भी शामिल है, उचित लेखांकन नीतियों का चयन, आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबन्धन कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने के लिए उत्तरदायित्व, प्रस्तुतीकरण के रूप में जारी रखने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि लागू होने से सम्बन्धित मामलों और लेखांकन के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबन्धन अथवा कम्पनी को बन्द करने का निर्णय रखते हों या संचालन करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय अभिलेख प्रक्रिया देखरेख के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारे में उचित स्थिति प्रस्तुत करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है, और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती हैं, का पता लगाएगा। इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों के प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

(SAs) के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी अंकेक्षण अवधि के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं और हमने :

- वित्तीय विवरणों के तथ्यों में गलत विवरण के जोखिमों को प्रस्तुत कर उनका आंकलन करें, चाहें वें ।

धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए अंकेक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करें, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के पर्याप्त एवं उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, गलत बयानी या आन्तरिक नित्रन्त्रण उल्लघंन भी सम्मिलित हो सकता है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के प्रस्तुतीतरण हेतु अंकेक्षण के लिए प्रासंगित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण की समझ प्राप्त करें, जो परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप हैं। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली है और इस प्रकार के नियन्त्रणों के परिचालन हेतु प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।

- प्रयोग की जा रही है लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और सम्बन्धित परिणामों की तर्कशीलता का मूल्यांकन किया हैं।

- लेखा से प्राप्त होने वाले परिणामों के आधार पर प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वित्तीय लेखों में अनिश्चितता परिलक्षित है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक रिपोर्ट से वित्तीय विवरणों में सम्बन्धित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना है। यदि इस प्रकार के खुलासे से किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित है, हालांकि भविष्य में होने वाली घटनाओं अथवा स्थितियों से कम्पनी के लिए सर्तक रहने वाली स्थिति को प्रदर्शित करता है।

- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुत, संरचना का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अर्न्तनिहित लेन–देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते हैं।

भौतिक एवं वित्तीय वक्तव्यों में व्यक्तिगत अथवा समूहिक रूप से गलत बयानों का दुष्परिणाम है जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, (1) हमारे अंकेक्षण के दौरान योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है। (2) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी गलत विवरण का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों में अंकेक्षण की योजना, समय और महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ आन्तरिक नियन्त्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं।

हम उन लोगों के बयान भी प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में प्रासंगिक नैतिकतायें हमारी स्वतन्त्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और उन सभी मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतन्त्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

अ. हमने वे सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए गए हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

ब. हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे है, जो कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के लिए गए परीक्षण से प्रकट होते हैं।

स. इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि, खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

द. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

य. 31 मार्च, 2022 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मण्डल के 31 मार्च 2022 को रिकार्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

र. कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियन्त्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट अनुलग्नक ''अ'' को देखें। हमारी रिपोर्ट बिना किसी बदलाव के कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उपयुक्तता तथा परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रकट करती है।

ल. अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले मामलों के सम्बन्ध में संशोधित हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार, कम्पनी एक निजी कम्पनी है जो प्रबन्धकीय पारिश्रमिक से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं है।

व. कम्पनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाएं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :

(i) कम्पनी के विरूद्ध ऐसा कोई भी विवाद जारी नहीं है, जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो। वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो। वित्तीय विवरण के नोट 27 के क्रम में।

(ii) कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबन्ध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियां हो।

(iii) कम्पनी के द्वारा निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

(iv) a. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि वित्तीय विवरणों के नोट 39 में खुलासा किया गया है, कम्पनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति, इकाई को विदेशी संस्थानों सहित कोई भी धन या ऋण या निवेश नहीं किया गया है।

b. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 39 में खुलासा किया गया है, कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है।

c. निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (e) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (a) और (b) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण नहीं है।

(v) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 37 में कहा गया है, कम्पनी ने निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो सुनिश्चित वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर हमारे द्वारा विवरण ''अनुलग्नक–ब'' दिया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZG के भाग संख्या IV की आवश्यकतानुसार हम ''अनुलग्नक C'' में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई 2022

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (अ)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 1(एफ) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (प) के तहत वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक वित्तय नियन्त्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में प्रतिबन्धन का दायित्व

कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिपादित प्रतिवेदन मानदण्डों पर आन्तरिक नियन्त्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख में उल्लिखित हैं। इन दायित्वों में उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है जो कि नियमित रूप से कुशलता की संरचना, उन्हें लागू करना तथा उन्हें बनाए रखना सम्मिलित है जो कि नियमित रूप से कुशलता पूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों का पालन, कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा कम्पनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारे दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के सन्दर्भ में अपनी राय प्रकट करना है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के लिए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रों के अंकेक्षण हेतु दिशा निर्देश लेख (''दिशा–निर्देश–लेख'') तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित मानदण्डों द्वारा किए गए दिशा निर्देश जो कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, का हमने अंकेक्षण किया है। वे मानक तथा दिशा निर्देश चाहते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण करें कि वित्तीय प्रतिवेदनों पर उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रतिपादित कर रख रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियन्त्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की उचित एवं परिचालन प्रभावशीलता के सन्दर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नहीं है तथा आंकलित जोखिम के आधार पर

परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आन्तरिक नियन्त्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे अथवा गलतियों से हों।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है तथा वित्तीय प्रतिवेदनों पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पद्धति के लिए हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों का आशय

एक कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के सन्दर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रिया सम्मिलित हैं जो (1) लेखा के रख रखाव से सम्बन्धित है, उपर्युक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिम्बित करती है तथा कम्पनी की सम्पत्तियों का निपटारा करती है।(2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्टि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबन्धकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किए जा रहे हैं तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारे में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आनतरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियन्त्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के किसी भी प्रकार के पूर्वानुमानों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिणाम को दूषित कर सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी उपर्युक्त जानकारी एवं दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय प्रतिवेदों पर उचित आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय प्रतिवेदनों पर 31 मार्च, 2022 को आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदनों के आन्तरिक नियन्त्रणों के मानदण्डों के आधार पर आन्तरिक नियन्त्रणों के मूलभूत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट् संस्थान द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन के आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रणों के अंकेक्षण पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (ब)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट)

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा प्रदत्त जानकारी और स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों को हमारे द्वारा आडिट में जाँच की गई और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी राय निम्नलिखित है :

(i) अ. A. कम्पनी ने अचल सम्पत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिए उचित अभिलेख बना रखे है।

B. कम्पनी ने अमूर्त सम्पत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख प्रस्तुत किये है।

C. कम्पनी अपने संयत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक दो वर्ष में कराती है, जो कि कम्पनी का आकार और संयत्रों की प्रकृति देखते हुए उचित प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया के अनुसार उल्लिखित वर्ष में कोई भी सम्पत्ति/संयत्र सत्यापन हेतु शेष नहीं थी। अतः सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई जिस पर हमारी कोई राय की आवश्यकता होती है।

D. कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, अतः इस पर क्लाज (i) (c) लागू नहीं होता है।

E. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी सम्पत्ति अथवा संयत्र का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया है।

F. 31 मार्च, 2022 तक कम्पनी के विरूद्ध बेनामी लेन–देन की कोई भी कार्यवाही पंजीकृत अथवा लम्बित नहीं पायी गई, जिसे बेनामी सम्पत्ति निषेध अधिनियम में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है।

(ii)अ. स्टाक (ट्रांजिस्ट) एवं तीसरे पक्ष के पास उपलब्ध स्टाक को छोड़कर प्रबन्धन द्वारा उचित समयावधि में वर्ष के दौरान भौतिक रूप से सत्यापन कराया गया था। हमारी राय में और हमें प्रदत्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर प्रबन्धन द्वारा इस प्रकार के सत्यापन की प्रकृति एवं प्रकार को देखते हुए कम्पनी के आकार और संचालन के अनुरूप उपयुक्त है। वर्ष के अन्त में तीसरे पक्ष के पास उपलब्ध स्टॉक के लिए लिखित पुष्टि प्राप्त की गई है और वर्ष के दौरान स्टॉक का हस्तान्तरण भी उचित प्रकार से किया गया है। हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों से मिलान करने के पश्चात पाया गया कि कम्पनी द्वारा प्रचालित भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के अन्तर्गत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में प्रत्येक इन्वेन्ट्री में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

ब. कम्पनी ने वर्ष के दौरान उपलब्ध चालू सम्पत्ति के आधार पर बैकों से 5 करोड़ से अधिक कार्यशील पूंजी

स्वीकृत कराई है, कम्पनी द्वारा सम्बन्धित बैंकों को त्रैमासिक रिर्टन प्रस्तुत किए गए हैं, जो कम्पनी गैर लेखापरीक्षित खातों के अनुरूप है।

(iii) कम्पनी ने किसी भी प्रकार का कोई निवेश, गारन्टी अथवा सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार का ऋण अथवा अग्रिम (सुरक्षित अथवा असुरक्षित) जो किसी कम्पनी, फर्म, पार्टनरशिप फर्म को वर्ष दौरान नहीं दिया गया है। अतः क्लाज (iii) लागू नहीं होता।

(iv) कम्पनी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निवेश, गारन्टी, अथवा सिक्योरिटी, किसी भी प्रकार ऋण अथवा अग्रिम वर्ष दौरान नहीं दिया गया है। अतः क्लाज (iv) लागू नहीं होता।

(v) कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कि जमा के स्वरूप में किसी भी प्रकार की कोई राशि स्वीकार नहीं की गई है जो भाग (v) में लागू नहीं है।

(vi) कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधिनियम 148(1) कम्पनी एक्ट, 2013 के अन्तर्गत निर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप लागत लेखांकन नहीं किया गया है।

(vii) सांविधिक देय राशि के सम्बन्ध में :

अ. निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे जी.एस.टी. (माल एवं सेवाकर), कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, उपकर एवं अन्य किसी भी प्रकार का दायित्व कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान समयावधि के अन्तर्गत जमा किया गया है।

निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे जी.एस.टी. (माल एवं सेवाकर), कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर एवं अन्य किसी भी प्रकार का दायित्व अथवा इनसे सम्बन्धित एरियर इत्यादि का कोई भी भुगतान 31 मार्च, 2022 अथवा 6 माह से अधिक किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है।

ब. विवाद के कारण दिनांक 31 मार्च 2022 तक निम्नलिखित माल एवं सेवा कर की धनराशि जमा नहीं की गई है।

विधि विवरण	बकाया के प्रकार	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	धनराशि से सम्बन्धित अवधि	माँग की राशि (लाख में)	सुनवाई के समक्ष भुगतान की गई राशि (लाख में)
उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर 2017 एवं केन्द्रीय माल एवं सेवाकर 2017	माल एवं सेवाकर	उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर 2017 एवं केन्द्रीय माल एवं सेवाकर 2017	2020–21	3.41	3.41

(viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम 1961 (1961–43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप सरेंडर अथवा प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से सम्बन्धित कोई लेन–देन नहीं था।

(ix) a. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदता को किसी भी प्रकार का ऋण अथवा उधार के पुर्नभुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई त्रुटि अथवा भूल नहीं की है।

b. कम्पनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार अथवा किसी सरकार प्राधिकरण द्वारा किसी भी स्थिति में दोषी घोषित नहीं किया गया है।

c. कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष प्रारंभ में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं है और इसलिए आदेश खण्ड (ix) (C) के तहत लागू नहीं होता है।

d. कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जाँच पर, अल्पावधि के आधार पर एकत्रित की गई धनराशि को प्रथम दृष्टया, कम्पनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

e. कम्पनी के पास वर्ष के दौरान सहायक अथवा सहोगी अथवा संयुक्त उद्यम उपलब्ध नहीं था। अतः आदेश खण्ड (ix) (e) के तहत लागू नहीं होता है।

f. कम्पनी के पास वर्ष के दौरान सहायक अथवा सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम उपलब्ध नहीं था। अतः आदेश खण्ड (ix)(f) के तहत लागू नहीं होता है।

(x) a. कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार के पब्लिक शेयर अथवा अन्य पब्लिक शेयर (ऋण पत्रक) के माध्यम से धनराशि अर्जित नहीं की है, अतः आदेश खण्ड (x) (a) के तहत लागू नहीं होता है।

b. कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों अथवा ऋण पत्रों का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आवंटन नहीं किया है। अतः आदेश खण्ड (x)(b) के तहत लागू नहीं होता है।

(xi) a. वर्ष के दौरान कम्पनी पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

b. कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अन्तर्गत कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फार्म–ए.टी.डी.–4 में केन्द्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान इस तिथि तक कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। अतः आदेश खण्ड (xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) कम्पनी सम्बन्धित पार्टियों के साथ सभी लेन–देन के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 188 के लेन–देन

अनुपालन में है ओर सम्बन्धित पार्टियों के लेन–देन के विवरण वित्तीय लेखांकन में प्रकट किए गए हैं जैसा कि लेखांकन मानकों के अनुरूप है। कम्पनी एक निजी कम्पनी है और इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।

(xiv) a. हमारी राय में कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

b. हमने वर्ष के दौरान कम्पनी को जारी की गई आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्ट अप्रैल 2021 से सितम्बर 2021 का विश्लेषण किया। साथ ही अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के आर्थिक चिट्ठा के बाद जारी की गई रिपोर्ट का भी आकंलन सम्मिलित है।

(xv) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 192 लागू नहीं होती है।

(xvi) कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 (IA) के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आदेश के खण्ड (xvi)(a), (b) और (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ग्रुप के अन्तर्गत कोई कोर निवेश कम्पनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेशक 2016 में परिभाषित है) तद्नुसार आदेश के खण्ड 3(xvi)(d) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) कम्पनी को वित्तीय वर्ष एवं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नगद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी सांवधिक लेखा परीक्षक द्वारा त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, समयानुपात, परिसम्पत्तियों की वसूली एवं वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ एवं निदेशक मण्डल और प्रबन्ध योजनाओं के बारे में हमारे द्वारा एकत्रित की जानकारी एवं विश्लेषण के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं आया कि प्रतीत होता हो कि आडिट रिपोर्ट अवधि तक कोई भौतिक अनिश्चितता है अथवा कम्पनी मौजूदा स्थिति में अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो आर्थिक चिट्ठा अवधि में देय है। हालांकि हमारा यह भी मानना है कि ये आंकलन भविष्य करने में सक्षम नहीं है जो आर्थिक चिट्ठा अवधि में देय है। हालांकि हमारा यह भी मानना है कि ये आकंलन भविष्य के लिए नहीं हैं। हमारा यह भी मानना है कि हमारा तथ्यात्मक आंकलन दिनांक पर आधारित है, इसलिए इन विषय पर कोई आश्वासन नहीं देते है कि बेलेन्सशीट दिनांक के एक वर्ष के अन्दर होने वाली समस्त देनदारियों जो कम्पनी द्वारा देय हैं, की समाप्ति कर दी जाएगी।

(xx) a. कम्पनी ने कारपोरेट सोशल रिसपान्सबिलटी (CSR) की राशि पूरी तरह से व्यय कर दी गई है और वर्ष

के लिए मद में कोई राशि शेष नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम 135 की उपधारा (vi) की अनुसूची (vii) के प्रावधान के अनुपालन में हस्तान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार आदेश के खण्ड (xx) रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

b. चालू वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (v) के तहत किसी भी चालू परियोजना के अनुसार कोई राशि शेष नहीं है। इसलिए आदेश के खण्ड (xx)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

स्वतन्त्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक – (स)

(हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट – अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अर्न्तगत पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट)

a. विक्रय किए गए माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 16 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियां प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

b. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की कोई नकदी नहीं है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशीय प्रतिभूतियां नहीं हैं।

c. 31 मार्च, 2022 को सम्पत्तियां एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार हैं।

d. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 के भाग XXIA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

e. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

f. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

g. हमें प्रदान की गयी सूचनाआसें तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त के अलावा कोई अन्य मामला नहीं है।

कृते एस0बी0 बिल्लीमोरिया एण्ड कं0
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(Registration No. 101496W)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

ह0/–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार
(Membership No. 87104)
(UDIN 22087104ANHIUX8847)

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

आर्थिक चिट्ठा 31 मार्च, 2022

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
A-	**शेयर और देयताएं**			
	1. अंश धारक कोष			
	(a) अंश पूँजी	3	2,979.37	2,920.93
	(b) प्रारक्षित निधि और अधिशेष	4	6,269.71	5,639.61
			9,249.08	8,560.54
	2. अंश पूँजी के आवेदन लम्बित आवंटन	38	25.41	19.35
	3. अस्थिगत अनुदान	5	626.85	767.97
	4. अंतरल देयताएं			
	(a) दीर्घ अवधि प्रावधान	6	764.47	694.52
	(b) दीर्घ अवधि समायोजन	7	47.73	70.16
			812.20	764.68
	5. तरल देयताएं			
	(a) लघु अवधि की उधारी	8	9,473.30	2,497.01
	(b) व्यापारिक देनदार	9		
	(i) लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि		149.61	254.55
	(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		2,615.80	2,359.77
	(C) अन्य तरल देयताएं	10	423.52	449.18
	(d) लघु अवधि प्रावधान	11	46.73	25.35
			12,708.96	5,585.86
			23,422.50	**15,698.40**
B-	**आस्तियां**			
	1. अंतरल आस्तियां			
	(a) अचल आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	12(a)	1,508.77	1,941.25
	(ii) अमूर्त संपत्ति	12(b)	–	2.59
	(b) आभासी कर आस्तियां (कुल)	13	166.09	138.06
	(C) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम	14	45.30	52.64
			1,720.16	2,134.54
	2. तरल आस्तियां			
	(a) रहतिया	15	873.93	700.04
	(b) व्यापारिक देनदार	16	11,710.32	4,144.45
	(C) रोकड़ और रोकड़ समरूप	17	8,633.41	8,307.60
	(d) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	18	126.58	95.48
	(e) अन्य चल आस्तियां	19	358.10	316.29
			21,702.34	13,563.86
	कुल योग		**23,422.50**	**15,698.40**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई 2022

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 20 जुलाई 2022

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

लाभ हानि खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2022

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
1.	व्यावसायिक गतिविधियों से आय	20	82,832.44	76,576.07
2.	अन्य आय	21	586.47	556.28
3.	**कुल आय (1+2)**		**83,418.91**	**77,132.35**
4.	**खर्चे**			
	(a) व्यावसायिक स्टॉक की खरीद	22	75,272.46	69,165.87
	(b) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव	23	(105.29)	(56.66)
	(C) कर्मचारियों से सम्बन्धित खर्चे	24	1,108.29	1,082.32
	(d) व्यावसायिक लागत	25	190.60	534.30
	(e) ह्रास खर्च	12	384.47	422.36
	(f) अन्य खर्चे	26	5,431.84	4,635.06
	कुल खर्चे		**82,282.37**	**75,783.25**
5.	**कर से पूर्व आय (3–4)**		1,136.54	1,349.10
6.	**कर सम्बन्धी खर्चे**			
	(a) वर्तमान कर		330.00	395.00
	(इ) पहले के वर्षों से सम्बन्धित प्रावधान			
	(ब) स्थगित कर (कुल)		(28.03)	(7.52)
	कुल खर्चे		301.97	387.48
7.	**सम्बन्धित वर्ष का लाभ (5–6)**		**834.57**	**961.62**
8.	**प्रति अंश आय**	31		
	(Nominal value Rs. 100 per share)			
	(a) बेसिक		30.88	33.22
	(b) डायलूटेड		30.80	33.22

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : **नई दिल्ली**
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : आगरा
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

रोकड़ प्रवाह खाता समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2022

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
A.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	कर से पूर्व लाभ	1,136.54	1,349.10
	समायोजन		
	ब्याज से आय	(449.98)	(513.08)
	व्यावसायिक लागत	190.60	534.30
	कर्मचारी हित खर्चे		
	ह्रास खर्च	(75.37)	(0.24)
	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	384.47	422.36
	कार्यशील पूँजी में बदलाव से पूर्व व्यावसायिक लाभ	**1,186.26**	**1,792.44**
	कार्यशील पूँजी में समायोजन		
	रहतिये में वृद्धि	(173.89)	(121.96)
	व्यावसायिक लेनदारों में वृद्धि	(7,565.88)	9,373.94
	दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(4.69)	(3.41)
	लघु अवधि ऋण और अग्रिम में वृद्धि	(31.10)	(0.40)
	व्यावसायिक देनदारों में वृद्धि	69.95	6.83
	अन्य चल देयताओं में वृद्धि	(1.05)	(87.58)
	देय व्यापार में वृद्धि	226.46	(1,122.65)
	व्यवसाय से रोकड़ प्राप्ति	(65.38)	(49.31)
	कुल आयकर भुगतान	**(6,359.32)**	**9,787.90**
	व्यवसाय गतिविधियों से कुल रोकड़ प्राप्ति	(319.08)	(615.07)
		(6,678.40)	**9,172.83**
B.	**निवेश से रोकड़ प्राप्ति**		
	बैंक शेष, रोकड़ नहीं है	(63.38)	(1,625.51)
	अचल आस्तियों की खरीद	(91.39)	(97.18)
	ब्याज प्राप्ति	408.18	362.48
	निवेश में व्यय कुल रोकड	**253.41**	**(1,360.21)**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्राप्ति**		
	समता अंश पूँजी जारी करने से प्राप्त राशि	39.09	(72.49)
	शेयर आवेदन के पैसे प्राप्त	25.41	19.35
	नेट वृद्धि/(कमी) कार्यशील पूँजी उधारी में	6,976.29	(7,179.55)
	लाभांश कर सहित भुगतान	(204.70)	(200.23)
	वित्तीय लागत का भुगतान	(148.66)	(583.70)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्राप्ति	**6,687.43**	**(8,016.62)**
	Net increase/(decrease) in Cash and cash equivalents (A+B+C)	**262.44**	**(204.00)**
	वर्ष के शुरू में रोकड़	32.79	236.79
	वर्ष के समाप्ति में रोकड़	**295.23**	**32.79**
	रोकड़ में सम्मिलित		
	बैंक करंट अकाउंट	295.23	32.79
	कुल रोकड़ प्रवाह	295.23	32.79
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य रूप से नहीं माना बैंक बैलेंस	21.36	21.59
	बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है।	8,316.82	8,253.22
	नकद और नकद समकक्ष आर्थिक चिट्ठा के अनुसार (17 नोट)	**8,633.41**	**8,307.60**

देखें, संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
वास्ते एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
साझेदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

कृते निदेशक मण्डल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबंधक

स्थान : आगरा
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग है।

1. कम्पनी के बारे में

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के अंतर्गत दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को गठित है।

कम्पनी उत्तर प्रदेश के गाँवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर कच्चे दूध का विक्रय मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड को करती है। कम्पनी पौली पैक दूध (PPM), घी, पशु आहार एवं वीर्य का क्रय एवं विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :

(a) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी का वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तैयार किए गए हैं। एम.सी.ए. ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXIA के तहत निर्माता कंपनी नियम 2021 के रूप में जानी जाने वाली निर्माता कंपनियों पर लागू है। वित्तीय विवरण तैयार किये जाते है। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप है।

(b) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धातों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग सम्पत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कंपनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किए गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

(c) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

(d) रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया हैं। जिसमें लाभ–हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियों, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किये गए राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

(e) आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता हैं जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जो कि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता हो, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

(f) अन्य आय

जमा पर ब्याज अर्जित आधार पर मानी जाती है।

(g) अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल सम्पत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रॉस/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल सम्पत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुनः वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लेने के लिए किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी सम्पत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल सम्पत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गए किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे सम्पत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पंजीकरण किया जाता है।

(h) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे सम्बन्धित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

(i) ह्रॉस एवं ऋणमृक्ति

ह्रास का निर्धारण सीधी रेखा पद्धति संपत्ति के प्रयोग जीवन के आधार पर होता है जो कि टेक्निकल सलाह, संपत्ति की प्रकृति, सम्पत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति को चलाने की दशाएं, पिछले प्रतिस्थापन, अनुमानित तकनीकी परिवर्तन, निर्माण वारंटी और रखरखाव सेवा इत्यादि पर निर्भर करता है।

ह्रास का निर्धारण करने के लिए संपत्ति का उपयोगी जीवन निम्न प्रकार निर्धारित करते हैं,

विवरण	उपयोगी वर्ष	जिन्दगी
प्लांट एवं उपकरण	10	–
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	–
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर	03	–
कार्यालय उपकरण	05	–

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से अनुपातिक आधार पर किया जाता है।

5000 रूपये या इससे कम मूल्य के एकल सम्पत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य ह्रासित किया जाता है।

(j) रहतिया

लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गए हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

(k) अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रास सम्बन्धित सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान की तरह माना जाता हैं तथा उसे सम्पत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में

दर्शाया जाता है, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुये लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा सम्बन्धित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

(l) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

(a) निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

(b) निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्युटी को आर्थिक चिट्ठे की तिथि को किये गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार लिया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोत्तरी को बीमांकिक मूल्यांक के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गयी हैं। इन लाभों में परफॉरमेंस इन्सेन्टिव्स और अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति शामिल हैं जो पिछले 12 माह में कर्मचारियों द्वारा दी गयी सेवाओं से सम्बन्धित है।

(d) दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्तिथियां, जो कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12

माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी। एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

(m) प्रतिशेयर आय

प्रतिशेयर मूल्य का निर्धारण, कर पश्चात शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एंटी डाइल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

(n) आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय देय है।

स्थगित कर को समय के अंतराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अंतर के कारण जो एक समयाविधि में अर्जित हुए है। जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयाविधियों के लिए की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए की भविष्य में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर शोषित मूल्य ह्रास एवं आगे ले जाई गई हानियां बचती हैं तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय सम्पत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर हैं तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

(o) ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे सम्बन्धित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता हैं। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता हैं।

(p) सम्पत्तियों के क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी सम्पत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि कोई ऐसा लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की सम्पत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उसे संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गए मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गयी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए कि यह सम्पत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को उसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व – बट्टा दर जो कि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

(q) प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्व कालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी सम्भावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बहिर्गमन होगा, जिसके लिए उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा आर्थिक चिट्ठा बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ पैमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

(r) लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनाएं उस संपत्ति के स्वामित्व में निहित होती हैं, तो ऐसे लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

(s) महत्वपूर्ण घटनाएँ

आर्थिक चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

(t) संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा सम्पत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 3 : अंश पूँजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	31 मार्च, 2021 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
(a).	**अधिकृत अंश पूंजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	45.00	4,500.00	45.00	4,500.00
(b)	**जारी की गयी, सदस्यों द्वारा ली गयी और पूर्ण प्रदत्त अंश पूँजी** प्रति समता अंश राशि रू. 100/–	29.79	2,979.37	29.21	2,920.93

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (v) देखें :–

नोट्स :–

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के रू. 100/– अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ, समापन पर समता अंशों, संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	31 मार्च, 2021 को स्थिति अंशों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	वर्ष/अवधि की शुरूआत के बकाया अंश	29.21	2,920.93	28.67	2,867.47
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	5.09	509.22	5.52	552.35
	वर्ष के दौरान	(4.51)	(451.48)	(4.98)	(498.89)
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	29.79	2,978.67	29.21	2,920.93

(iii) वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्ष के दौरान नकद या बोनस शेयरों के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिये कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(iv) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत् एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा किसी भी सदस्य के पास 5% से ज्यादा अंश पूंजी नहीं है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(iv) प्रमोटरों द्वारा रखे गये शेयरों का विवरण

क्र. सं.	प्रमोटरों का नाम	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021		
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	परिवर्तन
1	दिग्विजय सिंह	150.00	0.005%	150.00	0.005%	0.000%
2	महेश चन्द्र	80.00	0.003%	80.00	0.003%	0.000%
3	शिव सिंह	150.00	0.005%	150.00	0.005%	0.000%
4	चन्द्रपाल सिंह	60.00	0.002%	60.00	0.002%	0.000%
5	मुरारीलाल	127.00	0.004%	127.00	0.004%	0.000%
6	प्रवीन कुमार	60.00	0.002%	60.00	0.002%	0.000%
7	मनोहर लाल	30.00	0.001%	30.00	0.001%	0.000%
8	विनीता दुबे	160.00	0.005%	160.00	0.005%	0.000%
9	भगवान सहाय	74.00	0.002%	74.00	0.003%	0.000%
10	चन्द्रभान सिंह	86.00	0.003%	86.00	0.003%	0.000%
11	नेत्रपाल सिंह	117.00	0.004%	100.00	0.003%	0.001%

Note 4 : संचय एवं अधिशेष

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	**सामान्य संचय**		
	प्रारम्भिक रहतिया	5,370.57	4,649.31
	जोड़ें लाभ हानि खातों के अधिशेष से हस्तान्तरित	703.21	721.26
	अंतिम शेष	6,073.78	5,370.57
(b)	**लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष**		
	प्रारम्भिक शेष	269.04	229.40
	अवधि का लाभ	834.57	961.62
	घटाएं		
	(i) सदस्यों को प्रस्तावित प्रतिफल (रू. 7 प्रति अंश) वर्ष 2020–21 और (रू. 6 प्रति अंश) वर्ष 2021–22	204.47	200.72
	(ii) सामान्य संचय में अंतरित	703.21	721.26
	अंतिम शेष	195.93	269.04
	योग (a+b)	**6,269.71**	**5,639.61**

Note 5 : आस्थगित अनुदान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	प्रारम्भिक रहतिया	767.97	942.39
	घटाये : मूल्यह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित पूँजी अनुदान से प्राप्त कर लिया (नोट 12 देखें)	141.99	174.42
	जोड़ें अन्य	0.87	–
	अन्तिम रहतिया	**626.85**	**767.97**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 6 : अन्य दीर्घकालिक देयताऐं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	व्यापार/सुरक्षा जमा प्राप्त	764.47	694.52
		764.47	694.52

Note 7 : दीर्घकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु (फण्ड का शुद्ध मूल्य रु. 178.41 लाख विगत वर्ष रु. 149.45 लाख है)	46.37	66.50
	(ii) ग्रेच्युटी के लिये (निधि मूल्य रू. 143.31 लाख पिछले वर्ष रु. 115.43 लाख)	1.36	3.66
		47.73	70.16

Note 8 : लघु अवधि की उधारी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	**बिल में छूट की सुविधा**	9,473.30	2,497.01
		9,473.30	2,497.01

*कंपनी बिल डिस्काउण्टिंग के अन्तर्गत बिल जारी करने की दिनांक से 90 दिनों की अवधि हेतु पात्र है। ब्याज की दरें रेपों रेट + 4.20% प्रति वर्ष से 7.35% प्रतिवर्ष (विगत वर्ष के रेपो रेट + 7.10% से 8.25%)

Note 9 : व्यावसायिक देनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	लघु एवं सूक्ष्म संस्थानों की कुल बकाया राशि (See Note 35)	149.61	254.55
(b).	सूक्ष्म और लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	2,615.80	2,359.77
		2,765.41	2614.32

Note No. 9.1 : 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग की सूची :–

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
एम.एस.एम.ई.	149.61	–	–	–	149.61
अन्य	2,609.02	0.83	1.43	4.52	2,615.80
विवादित देय राशि एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	–
विवादित देय राशि अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	**2,758.63**	**0.83**	**1.43**	**4.52**	**2,765.41**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 9.2 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय एजिंग की सूची :–

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
एम.एस.एम.ई.	254.55	–	–	–	254.55
अन्य	2,352.74	1.45	1.13	4.45	2,359.77
विवादित देय राशि एम.एस.एम.ई.	–	–	–	–	–
विवादित देय राशि अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग	**2,607.29**	**1.45**	**1.13**	4.45	**2,614.32**

Note 10 : अन्य चालू दायित्व

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	अर्जित ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं	69.98	29.16
(b)	गैर दावे/गैर भुगतान लाभांश	21.36	21.60
(c)	वैधानिक देय	69.89	74.36
(d)	अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 31 देखें) प्राप्त	213.18	298.41
(e)	ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	49.11	25.65
		423.52	**449.18**

Note 11 : अल्पकालीन प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	46.73	25.35
		46.73	**25.35**

Note 13 : स्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(i).	उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर सम्पत्तियों का भाग हैं		
	a. प्रतिपूर्ति/ग्रेच्युटी अनुपस्थितियों हेतु प्रावधान	23.00	24.04
	b. खाता पुस्तकों एवं सम्पत्ति, प्लान्ट उपकरणों पर कर के मध्य अन्तर	141.89	112.82
	c. संदिग्ध डेबिट के लिए प्रावधान	1.20	1.20
		166.09	138.06
	शुद्ध स्थगित कर संपत्ति	**166.09**	**138.06**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 14 : दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	असुरक्षित एवं उचित माने गये		
(a)	जमा सुरक्षा राशि	18.85	18.86
(b)	जमा प्राप्तियाँ	16.20	11.51
(c)	एडवांस टैक्स (स्त्रोत पर कर कटौती सहित)	10.25	22.27
		45.30	52.64

Note 15 : स्टॉक

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	(स्टॉक लागत एवं वसूली मूल्य जो कम हो उस पर)		
(a)	स्टॉक इन ट्रेड		
	(i) कच्चा दूध	287.66	186.72
	(ii) पारगमन में कच्चा दूध	152.99	219.68
	(iii) अन्य व्यापारिक सामग्री	225.93	154.88
	(iv) भण्डारण और पुर्जे	207.35	138.76
		873.93	700.04

Note 16 : व्यवसायिक लेनदारियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
1.	**सुरक्षित एवं उचित माने गए**		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया		
	अच्छा माना जाता है		
	संदिग्ध माना जाता है	–	–
(b)	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	22.21	9.09
	अन्य	22.21	9.09
2.	**असुरक्षित एवं उचित माने गए**		
(a)	देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	–	–
	अच्छा माना जाता है	4.75	4.75
	संदिग्ध माना जाता है	4.75	4.75
		4.75	4.75
	घटायें –	–	–
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	11,688.11	4,135.36
(b)	अन्य	11,688.11	4,135.36
	उचित माना जाता है।		
		11,710.32	4,144.45

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 16.1 : 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार एजिंग की सूची –

	विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i)	निर्विवाद व्यापार से प्राप्तियां						
	(i) माल पर विचार करना	11,710.32	–	–	–	4.75	11,715.07
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
(i)	विवादित व्यापार से प्राप्तियाँ						
	(i) माल पर विचार करना	–	–	–	–	–	–
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
		11,710.32	–	–	–	4.75	11,715.07
	संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान	–	–	–	–	4.75	4.75
	कुल योग	11,710.32	–	–	–	–	11,710.32

Note 16.2 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार एजिंग की सूची –

	विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक	कुल योग
(i)	निर्विवाद व्यापार से प्राप्तियां						
	(i) माल पर विचार करना	4,144.45	–	–	–	–	4,144.45
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	4.75	4.75
(i)	विवादित व्यापार से प्राप्तियाँ						
	(i) माल पर विचार करना	–	–	–	–	–	–
	(ii) संदिग्ध माल पर विचार	–	–	–	–	–	–
		4,144.45	–	–	–	4.75	4,149.20
	संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान	–	–	–	–	4.75	4.75
	कुल योग	4,144.45	–	–	–	–	4,144.45

Note 17: रोकड़ तथा रोकड़ समान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	रोकड़ तथा रोकड़ समान		
	(i) बैंक शेष		
	a) चालू खाते, रोकड़ तथा रोकड़ समान, रोकड़ प्रवाह विवरण AS-3 के अनुसार	295.23	32.79
		295.23	32.79
(b).	अन्य बैंक शेष		
	(i) बैंक में जमा, वास्तविक परिपक्वता तिथि से 3 माह अधिक	8,316.82	8,253.22
	(ii) निर्धारित खाते में अवैतनिक लाभांश खातों में	21.36	21.59
		8,633.41	8,307.60

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 18 : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(असुरक्षित एवं उचित माने गये)			
(a)	विक्रेताओं को अग्रिम	70.42	53.44
(b)	पूर्वदान्त व्यय	56.16	42.04
		126.58	95.48

Note 19 : अन्य तरल आस्तियां

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(असुरक्षित एवं उचित माने गए)			
(a)	**अर्जित ब्याज** किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं	358.10	316.29
		358.10	316.29

Note 20 : व्यवसाय से आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a).	उत्पादों की बिक्री (नोट (i) देखें)	82,832.44	76,576.07
		82,832.44	76,576.07

विक्रय किये गए उत्पाद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(i)	**व्यावसायिक माल**		
	a) कच्चा दूध	71,902.98	69,802.05
	b) पॉलीपैक दूध	6,012.56	2,742.18
	c) दूध के उत्पाद	2,365.75	1,801.03
	d) पशु आहार	2,334.63	2,047.93
	e) वीर्य	216.52	182.88
		82,832.44	76,576.07

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 21 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	449.98	513.08
	(ii) अन्य जमा LIC सहित (ग्रेचुएटी और नकदीगरण)	19.17	8.78
(b)	गैर व्यावसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	14.76	9.64
	(ii) देयता जो लिखित रूप से आवश्यक नहीं है	75.37	0.24
	(iii) बीमा से आय	1.69	14.57
	(iv) विविध आय	25.50	9.97
		586.47	556.28

Note 22 : स्टॉक इन ट्रेड की खरीद

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	कच्चा दूध	65,824.69	60,990.48
(b)	पॉली पैक दूध और दुग्ध उत्पाद	7,052.26	5,960.07
(c)	पशु आहार	1,979.31	1,764.28
(d)	वीर्य	130.24	128.21
(e)	पैकिंग सामग्री	285.96	322.83
		75,272.46	69,165.87

Note 23 : तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में बदलाव

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	वर्ष के प्रारम्भ में रहतिया	561.29	504.63
(b)	वर्ष के समापन पर रहतिया	666.58	561.29
(c)	रहतिया में शुद्ध वृद्धि	(105.29)	(56.66)

Note 24 : कर्मचारी हित सम्बन्धी खर्चे

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	वेतन एवं मजदूरी	969.15	960.14
(b)	भविष्य निधि कोष में योगदान (नोट 29 देखें)	112.28	105.92
(c)	कर्मचारी कल्याण पर व्यय	26.86	16.26
		1,108.29	1,082.32

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 25 : वित्तीय लागत

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	व्ययों पर ब्याज		
(i)	बिल डिस्काउंटिंग	189.46	525.95
(b)	आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	1.14	8.35
		190.60	534.30

Note 26 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स उपभोग	463.42	437.24
(b)	पावर एवं फ्यूल	11.14	11.12
(c)	प्रसंस्करण शुल्क	465.61	337.03
(d)	किराया	164.43	157.30
(e)	दर तथा कर	2.33	0.47
(f)	मरम्मत एवं रखरखाव – भवन	–	0.04
(g)	मरम्मत एवं रखरखाव – मशीनरी	412.26	358.37
(h)	मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	111.49	100.45
(i)	विज्ञापन एवं व्यवसाय संवर्धन	226.43	61.52
(j)	अग्रिम भाड़ा एवं वितरण	2,114.94	1,769.64
(k)	बीमा व्यय	62.68	41.06
(l)	कानूनी और सलाहकारों का पारिश्रमिक	191.70	179.25
(m)	अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	17.35	16.35
(n)	यात्रा एवं परिवहन व्यय	212.71	198.37
(o)	मजदूरी व्यय	764.89	738.42
(p)	सम्प्रेषण व्यय	112.26	132.74
(q)	कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व व्यय	35.93	39.43
(r)	अन्य व्यय	62.27	56.26
		5,431.84	4,635.06

(i) : अंकेक्षकों के पारिश्रमिक में निम्न शामिल है

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	12.20	11.55
(b)	कर अंकेक्षण शुल्क	2.50	2.31
(c)	उपरोक्त कर सेवाकर	2.65	2.49
		17.35	16.35

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(ii) : **कारपोरेट सोशल उत्तरदायित्व व्यय विवरण –**

(a) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा आवश्यक सकल धनराशि	35.93	39.43
(b) वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय		
(i) किसी सम्पत्ति का निर्माण एवं अधिग्रहण	–	–
(ii) बिन्दु संख्य 1 से पृथक उद्देश्य	35.93	39.43
	35.93	39.43
(iii) अव्ययित सी.एस.आर. खाते में हस्तांतरित राशि	–	–
(iv) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गयी अतिरिक्त धनराशि	–	–
(v) अगले वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध सेट–ऑफ	–	–
(vi) सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रवत्ति	–	–

कम्पनी ने 35.93 लाख रू. (पिछले वर्ष 39.43 लाख रू.) की धनराशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा कराये है।

Note 27 : आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(a)	आकस्मिक देनदारियां		
(i)	FSSAI के मामले 2006 के धारा संख्या 26(2)(ii)	44.00	42.00
(ii)	UPGST अधिनियम 2017 के अन्तर्गत CGST अधिनियम 2017	3.41	3.41
(b)	प्रतिबद्धताएं शेष बचे अनुबन्धों को अनुमानिद राशि को पूँजी खाते पर निष्पादित किया जायेगा और इसके लिए प्रदान नहीं किया जायेगा। (अग्रिम भुगतान रू. शून्य एवं पिछले वर्ष रू. शून्य)	6.45	–

Note 28 : कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी योगदान योजनाएं

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कंपनी दोनों की पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते है। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू0 80.02 लाख (पिछले वर्ष 74.76 लाख रू0) की राशि को लाभ हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुस्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनाएं कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गयी सेवाओं के वर्षों तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्युटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परतंत्र के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्युटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(i): निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	वर्ष/अवधि की शुरूआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	119.10	88.78
	ब्याज लागत	7.82	5.98
	वर्तमान सेवा लागत	26.32	25.16
	लाभ का भुगतान	(6.69)	(0.85)
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर घाटा	(1.89)	0.03
	वर्ष के प्रारम्भ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**144.66**	**119.10**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष की शुरूआत में योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य	115.44	86.56
	योजनागत सम्पत्ति पर संभावित लाभ	7.80	7.64
	अंशदान	22.81	23.51
	लाभ का भुगतान	–	–
	निकासी	(2.12)	–
	वर्ष के अंत में योजना संपत्ति की वापसी	(0.63)	(2.27)
	कुल योग	**143.30**	**115.44**

कम्पनी ने ग्रेच्युटी योजना के सम्बन्ध में कम्पनी के दायित्वों को पूरा करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम से पॉलिसी ली है।

(iii)	**योजना संपत्ति की वापसी**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	7.80	7.64
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक लाभ/हानि	(0.63)	(2.27)
	योजना संपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	**7.17**	**5.37**

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(iv)	**आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत की गयी राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना	144.66	119.10
	सम्पत्तियों का उचित मूल्य	143.30	115.44
	आर्थिक चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/सम्पत्ति	1.36	3.66

(v) : लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	वर्तमान सेवा लागत	26.32	25.16
	व्याज लागत	7.82	5.98
	योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(7.80)	(7.64)
	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध वास्तविक लाभ/हानि	(1.26)	2.30
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	25.08	25.80

(vi) : चिट्ठे का मिलान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध दायित्व	119.10	88.78
	शुरूआती वर्ष में योजना के आकंलन का उचित मूल्य	115.44	86.56
	वर्ष के प्रारम्भ में शुद्ध दायित्व	3.66	2.22
	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	25.08	25.80
	योगदान	22.81	23.51
	लाभ का भुगतान	(6.69)	(0.85)
	निकासी	2.12	–
	वर्ष के अन्त में देयता (संपत्ति)	1.36	3.66

(vii) : मुख्य बीमांकिक अनुमान

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	छूट की दर	7.24% प्रतिवर्ष	6.76% प्रतिवर्ष
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% प्रतिवर्ष	10.00 प्रतिवर्ष
	योजना सम्पत्तियों पर	6.20% प्रतिवर्ष	7.77% प्रतिवर्ष
	संघर्षण दर	8.00% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
	शेष कार्यकारी जीवन	20.70 वर्ष	21.71 वर्ष
	प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी	IALM 2012-14 Ultimate	IALM 2012-14 Ultimate

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।
सामान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

(viii) : अनुभव समायोजन

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति	31 मार्च, 2020 को स्थिति	31 मार्च, 2019 को स्थिति	31 मार्च, 2018 को स्थिति
	निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	144.66	119.10	88.78	50.04	35.29
	योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	143.30	115.44	86.56	75.03	52.18
	पोषित स्थिति	1.36	3.66	2.22	(24.99)	(16.88)
	प्रतिबद्धताओं पर लाभ/हानि	1.89	(0.03)	(11.85)	2.08	1.33
	योजना सम्पत्तियों पर लाभ/हानि	(0.63)	(2.27)	(1.63)	–	–

(ix) मुआवजे की अनुपस्थिति के लिये देयता के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणायें उपरोक्त 7 के समान है।

Note 29 : सामाजिक सुरक्षा पर कोड–2020 (कोड) रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से सम्बन्धित, सितम्बर 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुयी। कोर्ड को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, हालांकि जिस तारीख को कोड लागू होगा, उसे अधिसूचित किया जाना बाकी है। जब कोड और नियमों को अधिसूचित किया जायेगा तो कम्पनी प्रभाव का आंकलन करेगी। जब कोड और नियम प्रभावी हो जायेंगे तो उस अवधि में किसी भी सम्बन्धित प्रभाव को लेखांकित करेगी।

Note 30 : लीज व्यवस्था

कंपनी ने अपने कार्यालय परिसर के लिए परिचालन पट्टे की व्यवस्था में प्रवेश किया है। पट्टा 9 साल की अवधि के लिए 4 साल की गैर रद्दीकरण अवधि पर है। पट्टा समझौता हर 3 साल के बाद 15% की वृद्धि के लिए मान्य है। पट्टे के खर्चे रू. 164.43 लाख (पिछले वर्ष रू. 157.30 लाख जो कि लाभ और हानि चिट्ठे में वर्णित है।)

भविष्य में न्यूनतम पट्टे का भुगतान

एक वर्ष बाद देय नहीं	51.44	49.80
एक वर्ष बाद देय पर पाँच वर्ष बाद देय नहीं	75.20	126.64
	126.64	176.44

Note 31 : प्रति समता अंश आय (राशि ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	Unit	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये (लाख में)	834.57	961.62
	वर्ष के दौरान भारित औसत अर्द्ध समता अंशों की संख्या	संख्या (लाख में)	27.02	28.95
	प्रति समता अंश का न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश समता मूल आय	रूपये (लाख में)	30.88	33.22
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गए समता अंश	संख्या (लाख में)	27.09	28.95
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये (लाख में)	30.80	33.22

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note 32 : सरकारी अनुदान का विवरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
	अनुदान का विवरण एन.डी.डी.बी. और एन.डी.डी.बी.–डेयरी सेवाएं और इसके उपयोग से प्राप्त इस प्रकार है:		
	(a) प्रारम्भिक शेष	–	0.19
		–	0.19
	(b) राजस्व व्यय		
	एन.डी.डी.बी. अग्रिम वापिसी	–	0.19
	कुल उपयोग	–	–
	(c) शेष (अ+ब–स)	–	–

Note :

पूँजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किये गये अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है।

Note 33 :

वर्ष 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 के अनुपात इस प्रकार है।

क्र. सं.	अनुपात	गणना का आधार	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	उतार–चढ़ाव %
1.	वर्तमान अनुपात (समय में) (नीचे नोट A देखें)	वर्तमान संपत्तियाँ/दायित्व	1.71	2.43	(29.68)
2.	ऋण इक्विटी अनुपात (नीचे नोट B देखें)	अन्यकालिक आधार	1.02	0.29	251.14
3.	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात (नीचे नोट C देखें)	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	8.98	4.32	108.09
4.	इक्यूटी अनुपात पर वापसी (%)	कर के बाद शुद्ध लाभ/औसत शेयर धरकों की इक्यूटी	28.29	33.23	(4.94)
5.	इक्यूटी टर्नओवर अनुपात	संचालन/औसत सूची से राजस्व	105.25	119.83	(12.16)
6.	व्यापार प्राप्त कारोबार अनुपात	संचालन से राजस्व/औसत व्यापार प्राप्त	10.45	8.67	20.51
7	व्यापार देय कारोबार अनुपात (नीचे नोट D देखें)	संचालन/औसत कार्यशील पूँजी से राजस्व	27.98	21.78	28.49
8.	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	करों के बाद लाभ/संचालन से राजस्व	9.76	9.98	(2.23)
9.	शुद्ध लाभ अनुपात (%)	ब्याज और कर से पहले की कमाई	1.01	1.26	(0.25)
10.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	लाभांश आय/औसत निवेश	7.03	16.82	(9.80)
11.	कम्पनी द्वारा कोई निवेश नहीं किया है।	लाभांश आय/औसत निवेश	–	–	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

Note A :

1. वित्तीय वर्ष के दौरान, शुद्ध वर्तमान सम्पत्ति रू. से अधिक है। वर्तमान देनदारियों की तुलना में 1,015.37 लाख है, जोकि वर्तमान समय में अनुपात में सुधार हुआ है।
2. वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल ऋण रू. 6,976.29 लाख और शेयर धारकों की इक्यूटी में 688.58 लाख की वृद्धि हुयी है। इसके परिणाम स्वस्थ ऋण इक्यूटी अनुपात में वृद्धि हुयी है।
3. वित्तीय वर्ष के दौरान, ऋण सेवा के लिये उपलब्ध आय में रू. 594.12 लाख और ऋण सेवा यानि वित्तीय लागत में रू. 343.70 लाख की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप ऋण सेवा कवरेज अनुपात में वृद्धि हुयी है।
4. वित्तीय वर्ष के दौरान, बिक्री के लिए उपभोग की जाने वाली सामग्रियों की खरीद में रू. 6,106.59 लाख और देय औसत व्यापार में रू. 485.89 लाख की कमी हुयी है। इसके परिणामस्वरूप व्यापार देय कारोबार अनुपात में वृद्धि हुयी है।

Note 34 :

सम्बन्धित पक्ष प्रकटीकरण :–

(a). सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं सम्बन्ध का स्वरूप

सम्बन्ध का स्वरूप (Nature of Relationship)	सदस्य का नाम (Name of Person)	सम्बन्ध
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	बसन्त चौधरी	मुख्य कार्यकारी

(b). उपरोक्त सम्बन्धित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है।

Nature of Transactions	(Rupees) KMP
प्रबंधक पारिश्रमिक	
बसन्त चौधरी	35.29
	(30.82)

(ब्रैकेट में आँकड़ें पिछले वर्ष संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते है)

Note 35 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के तहत पंजीकरण आवश्यक है –

	विवरण	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
(i)	लेखा वर्ष के अन्त तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि का भुगतान नहीं किया गया है।	149.61	254.55
(ii)	लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को उस पर देय ब्याज का भुगतान न किया गया हो।	–	–
(iii)	नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गयी ब्याज की राशिं	–	–
(iv)	वर्ष के लिये देय और देय ब्याज की राशि।	–	–
(v)	लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि।	–	–
(vi)	आगामी वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि उस तारीख तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक उसका ब्याज बकाया रहेगा।	–	–

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का ही एक भाग हैं।

प्रबंधक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग अनिधिनम, 2006 (MSMED Act) के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कंपनी की कोई भी बकाया नहीं है।

Note 36 :

कंपनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से सम्बन्धित है। खण्ड सूचना के लेखा मानकों AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कंपनी को कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से सम्बन्धित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

Note 37 :

गतवर्ष 31 मार्च 2022 के लिये निदेशकों ने अपनी बैठक में जो 20 जुलाई, 2022 को हुयी थी जिसमें लाभांश 208.54 लाख (रू. 7 प्रति शेयर) लाभांश शेयर धारकों के साधारण सभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद दिया जायेगा। इसलिए आर्थिक चिट्ठे में शामिल नहीं किया है। प्रस्तावित लाभांश उन सभी शेयर धारकों को मिलेगा जिन्होंने अपने शेयर अंश का पूर्ण भुगतान किया हुआ है।

Note 38 :

कम्पनी ने अंश आवेदन धनराशि के रूप में रू. 25.41 लाख प्राप्त किये है। जिसका आवंटन 27 मई 2022 की बोर्ड बैठक में किया गया था।

Note 39 :

कम्पनी ने किसी विदेशी संस्थाओं सहित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई फंड, उधार या निवेश नहीं किया है। कम्पनी ने किसी भी पार्टी से फंड प्राप्त नहीं किया है। कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों को उधार देगी या निवेश करेगी या कम्पनी की ओर से या उसकी ओर से कोई गारण्टी, सुरक्षा प्रदान करेगी।

Note 40 :

पिछली अवधि के आंकड़े फिर से एकजुट कर दिया है / जहाँ आवश्यक चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटीकरण के साथ अनुरूप करने के लिए पुनवर्गीकृत कर दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल

ह./–
रजनीश कुमार
निदेशक

ह./–
बसन्त चौधरी
मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

ह./–
सुदीप कुमार भौमिक
वरिष्ठ वित्त प्रबन्धक

स्थान : आगरा
दिनांक : 20 जुलाई, 2022

Note 12 : अचल सम्पत्ति (रूपये लाख में)

	विवरण	Gross Block				Accumulated Depreciation				Net Block	
		As at April 1, 2021	Additions	Deletion	As at 31 March, 2022	As at 01 April, 2021	Depreciation Charge	Deletion	As at 31 March, 2022	As at 31 March, 2022	As at 31 March, 2021
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**										
	सयंत्र एवं उपकरण	5,260.36	64.69	47.46	5,277.59	3,368.97	490.09	47.46	3,811.60	1,465.99	1,891.39
		(5,173.82)	(86.54)	(–)	(5,260.36)	(2,821.19)	(547.78)	(–)	(3,368.97)	(1,891.39)	(2,352.63)
	फर्नीचरण व फिक्सचर	277.08	–	–	277.08	267.63	2.48	–	270.11	6.97	9.45
		(277.08)	(–)	(–)	(277.08)	(266.28)	(1.35)	(–)	(267.63)	(9.45)	(10.80)
	दफ्तर के उपकरण	44.06	–	–	44.06	21.62	19.70	–	41.32	2.74	22.44
		(44.06)	(–)	(–)	(44.06)	(17.54)	(4.08)	(–)	(21.62)	(22.44)	(26.52)
	कम्प्यूटर	1,559.11	26.70	–	1,585.81	1,541.14	11.60	–	1,552.74	33.07	17.97
		(1,542.27)	(16.84)	(–)	(1,559.11)	(1,509.68)	(31.46)	(–)	(1,541.14)	(17.97)	(32.59)
	कुल (A)	**7,140.61**	**91.39**	**47.46**	**7,184.54**	**5,199.36**	**523.87**	**47.46**	**5,675.77**	**1,508.77**	**1,941.25**
	गत वर्ष	(7,037.23)	(103.38)	(–)	(7,140.61)	(4,614.69)	(584.67)	(–)	(5,199.36)	(1,941.25)	(2,422.54)
(b)	**अमूर्त सम्पत्ति** (अन्य स्वयं उत्पन्न की तुलना में)										
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	349.91	–	–	349.91	347.32	2.59	–	349.91	–	2.59
		(349.91)	–	(–)	(349.91)	(335.21)	(12.11)	(–)	(347.32)	(2.59)	(14.70)
	कुल (B)	**349.91**	**–**	**–**	**349.91**	**347.32**	**2.59**	**–**	**349.91**	**–**	**2.59**
	गत वर्ष	(349.91)	(–)	(–)	(349.91)	(335.21)	(12.11)	(–)	(347.32)	(2.59)	(14.70)
	(A+B)	**7,490.52**	**91.39**	**47.46**	**7,534.45**	**5,546.68**	**526.46**	**47.66**	**6,025.68**	**1,508.77**	**1,943.84**

नोट :

(i) मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	31 मार्च, 2022 को स्थिति	31 मार्च, 2021 को स्थिति
मूर्त संपत्ति	523.87	584.67
अमूर्त संपत्ति	2.59	12.11
कम मूल्य ह्रास की संपत्ति से सम्बन्धित अनुदान से प्राप्त कर लिया	141.99	174.42
	384.47	**422.36**

(ii) पूँजी अनुदान से खरीदी और टेबल के ऊपर नीचे दिए गए हैं में शामिल परिसंपत्तियों का विवरण (ध्यान दें 33 देखें):

	विवरण	Gross Block			Accumulated Depreciation			Net Block	
		As at 1 April 2021	Additions	As at 31 March, 2022	As at 1 April 2021	For the year	As at 31 March, 2022	As at 31 March, 2022	As at 31 March, 2021
(a)	**मूर्त सम्पत्ति (स्वामित्व)**								
	सयंत्र एवं उपकरण	1,636.33	–	1,636.33	884.57	125.26	1,009.83	626.50	751.76
		(1,6396.33)	(–)	(1,636.33)	(729.43)	(155.14)	(884.57)	(751.76)	(906.90)
	फर्नीचर व फिक्सचर	33.32	–	33.32	16.24	16.73	32.97	0.35	17.08
		(33.32)	(–)	(33.32)	(13.11)	(3.13)	(16.24)	(17.08)	(20.21)
	दफ्तर के उपकरण	259.02	–	259.02	259.02	–	259.02	–	–
		(259.02)	(–)	(259.02)	(259.02)	–	(259.02)	–	–
	कम्प्यूटर	1,008.43	–	1,008.43	1,008.43	–	1,008.43	–	–
		(1,008.43)	(–)	(1,008.43)	(998.53)	(9.90)	(1,008.43)	–	(9.90)
	अमूर्त सम्पत्ति	207.66	–	207.66	207.66	–	207.66	–	–
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	(207.66)	(–)	(207.66)	(201.41)	6.25	(207.66)	–	(6.25)
	योग	3,144.76	–	3,144.76	2,375.92	141.99	2,517.91	626.85	768.84
		(3,144.76)	(–)	(3,144.76)	(2,201.50)	(174.42)	(2,375.92)	(768.84)	(943.26)

(iii) पूँजी वर्ष के आंकड़े (कोष्ठक) में दर्शाए गये है।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

नौवीं वार्षिक आम सभा की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम सभा मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को पूर्वाहन 11:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में निम्न कार्यों के लिए होगी :

1. **31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   '' प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी रुपये 7/– प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लाभ में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 29,79,374 समता अंशों पर रू. 208.56 लाख वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. : 07464066), जो ''कोई श्रेणी नहीं'' के अंतर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों पुर्न–अध्यादेश) श्री अनिल कुमार, कंपनी के निदेशक, जो ''कोई

श्रेणी नहीं'' के अंतर्गत आते हैं, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही हैं, के स्थान पर श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. 09679787) को जो ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

4. **श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. 08526484), जो ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश सहित) श्री हरेन्द्र पाल सिंह, कंपनी के निदेशक जो ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते हैं एवं जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही हैं, के स्थान पर श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. 09680147) को जो ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्ति होंगे''

5. **श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410), जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410) जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को कंपनी में निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

6. **1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जात है।''

7. **कंपनी के अंर्तनियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :**

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378–I और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, तथा कंपनी के बहिर्नियम एवं अतंनिर्यमों के लागू प्रावधानों के तहत, अंशधारकों की सहमति सहित कंपनी के अंतर्नियमों में जहाँ तक संभव हो सके, निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

(1) मौजूदा अनुच्छेद 4.3 (iii) में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 4.3(iii) :– कोई भी सदस्य जो सदस्य के रूप में बने रहने के लिए पात्र नहीं है, उसकी सदस्यता को खारिज करने के लिए, कम्पनी द्वारा उसे एक लिखित नोटिस सुनवाई के अवसर के साथ जारी किया जायेगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए, बोर्ड समीक्षाधीन वर्ष में सभी सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट दे सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। नोटिस निम्नलिखित द्वारा/के माध्यम से भेजा जायेगा :

– सदस्य को उसके अंतिम ज्ञात पते पर पंजीकृत पोस्ट और भेजने के पाँच दिन बाद प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा, या

– इलैक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से सदस्यों को उनकी ई–मेल आईडी पर, जो कंपनी के पास पंजीकृत है तथा ई–मेल भेजने के दिन को, नोटिस प्राप्ति का दिन मान लिया जायेगा।

तत्पश्चात, बोर्ड इस मामले पर निर्णय लेगा।

(2) मौजूदा अनुच्छेद 9.13 में बदलाव/संशोधन किया जाएगा और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

अनुच्छेद 9.13(i) : बोर्ड मीटिंग के लिए आवश्यक कोरम निदेशकों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जिसमें एक निर्वाचित निदेशक और एक विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति सहित कम से कम तीन की मौजूदगी आवश्यक होगी। तथापि, यदि निदेशक मंडल में कोई विशेषज्ञ निदेशक न हो तो निदेशक मंडल की मीटिंग में कोरम के लिए विशेषज्ञ निदेशक की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुच्छेद 9.13(ii) : यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है, तो बैठक को कंपनी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। तथापि, स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव का कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।''

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान – आगरा

टिप्पणी –

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है, को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखाकर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि (Proxy) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्यों को प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए प्रोक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरह से भरकर, स्टॉम्प लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे से पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रोक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।

2. सदस्य/प्रतिनिधी नौवीं वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने पर उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip) विधिवत भरकर लाने की कृपा करें।

3. प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा ली गई अंश पूँजी और संरक्षता को ध्यान में रखते हुये एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में कंपनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

4. निम्नांकित दस्तावेज सूचना पत्र के साथ संलग्न हैं–

   अ. मद संख्या 3, 4 और 5 के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण एवं मद संख्या 7 में वर्णित व्यवसाय के सम्बन्ध में विवरण।

   ब. दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को सम्पन्न हुई पूर्व वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

   स. 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता, अंकेक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट।

   द. वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट।

5. जो सदस्य कंपनी के परिचालन से सम्बन्धित या खातों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने प्रश्नों को वार्षिक आम सभा के 7 दिन पूर्व कम्पनी सचिव को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेज सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां उन्हें आम सभा में उपलब्ध करायी जा सके।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वह पते में हुए परिवर्तन को पिन कोड तथा मोबाइल नम्बर सहित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तुरन्त सूचित करें।

7. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्य दिवसों में प्रात: 11 बजे से शाम 4 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा की तिथि तक निरीक्षण किया जा सकता है।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियो संख्या एवं सोलह अंकों का सदस्यता कोड अवश्य लिखें।

9. सीमित आय (डिविडेंड) जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनके नाम 31 मार्च, 2022 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत हैं।

10. सदस्यों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अध्यादेश) की धारा 124 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए यदि सीमित लाभांश (डिविडेंड) की राशि को उसकी घोषणा से सात वर्षों तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं, तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education and Protection Fund) में हस्तान्तरित कर दी जायेगी। निवेशक शिक्षा और संरक्षक विधि (आई.ई.पी.एफ.) में हस्तान्तरित होने वाले अनधियाचित (अवैतनिक) लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ के हस्तांतरण की संभावित तिथि
2014–15	23/09/2015	30/10/2022
2015–16	10/09/2016	17/10/2023
2016–17	16/09/2017	23/10/2024
2017–18	13/09/2018	20/10/2025
2018–19	06/09/2019	13/10/2026
2019–20	02/11/2020	09/12/2027
2020–21	24/09/2021	31/10/2028

जिन सदस्यों ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/इलैक्ट्रोनिक हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ हैं वे कंपनी से सम्पर्क कर सकते हैं, ताकि वे उक्त निधि में हस्तांतरण के लिए देय होने से पहले भुगतान प्राप्त कर सकें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र (सर्क्युलर) आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

12. बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.saahajmilk.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान – आगरा

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति/पुनः नियुक्त चाहने/होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA(4)(C) और सामान्य सभा पर लागू सचिवीय मानकों के अनुसार)

मद संख्या 3, 4 और 5

बोर्ड नामांकन समिति की सिफारिश पर, श्री मानिक चन्द्र (डी.आई.एन. : 09679787, जो श्रेणी–ए का प्रतिनिधित्व करते हैं), श्री राहुल कुमार (डी.आई.एन. : 09680147 , जो श्रेणी–सी का प्रतिनिधित्व करते हैं), की नियुक्ति और श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. 08526410, जो श्रेणी–सी का प्रतिनिधित्व करते है) की पुनः नियुक्ति, करने का प्रस्ताव करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है :

	श्री मानिक चन्द्र	**श्री राहुल कुमार**	**श्री शिव कुमार शर्मा**
उम्र	24	23	40
शैक्षिक योग्यता :	विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)	इण्टरमीडिएट	वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 10 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 8 साल का अनुभव	कृषि और पशुपालन क्षेत्र में 22 साल का अनुभव
नियुक्ति के नियम और शर्तें :	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी	गैर कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग की और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की तिथि	नौवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	नौवीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	06/09/2019
निदेशक मण्डल की बैठकों की संख्या में भाग लिया	–	–	15
अंश पूजीधारिता :	213	61	22
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं	सम्बन्धित नहीं
बोर्ड की समिति की सदस्यता/ अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4) (f) के अनुसार मद संख्या 7 में निर्धारित मद के संबंध में विवरण।

मद संख्या : 7

सदस्यों को नोटिस भेजने के माध्यम को स्पष्ट करने के लिए एवं बोर्ड को वर्ष में सदस्यों को एक या अधिक पात्रता मानदंड में छूट देने का निर्णय लेने का विकल्प देने के लिए, अंतर्नियम के अनुच्छेद 4.3 (iii) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, मूल बैठक के दिन से एक सप्ताह के भीतर एक स्थगित बोर्ड बैठक आयोजित करने के लिए, मौजूदा अनुच्छेद 9.13 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों की एक प्रति प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ सभी कार्य दिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मध्य नोटिस की तिथि से वार्षिक आम सभा की तिथि तक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

कंपनी का किसी भी निदेशक/अधिकारी या उनके किसी भी रिश्तेदार का, किसी भी प्रकार से, इस प्रस्ताव में कोई सम्बन्ध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 वर्णित विशेष प्रस्ताव को सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
ह./–
वरूण वर्मा
कम्पनी सचिव

दिनांक : 20 जुलाई, 2022
स्थान – आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा, जो शुक्रवार, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 9:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में सम्पन्न हुई, जिसकी कार्य सूची का विवरण इस प्रकार है:

उपस्थिति :

1.	श्री रजनीश कुमार	:	अध्यक्ष, अध्यक्ष (स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी एवं अंशधारक)
2.	श्री अनिल कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री शिव प्रताप	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री उपेन्द्र सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री राजकुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री शिव कुमार शर्मा	:	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्री योगेश कुमार जादौन	:	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह	:	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्री अनुरूद्ध कुमार	:	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्रीमती प्रेमलता	:	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्रीमती सपना	:	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री बसन्त चौधरी	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
13.	श्री वरूण वर्मा	:	कंपनी सचिव

सदस्य उपस्थित

व्यक्तिगत रूप से : 45

प्रतिनिधि के माध्यम से : 2,250

श्री रजनीश कुमार ने प्रातः 9:00 बजे बैठक की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ने कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए कंपनी सचिव से अपेक्षित सदस्यों की उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए कहा।

तत्पश्चात्, श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधित (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश है उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y सपठित अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम के लिए 21,303 होने चाहिए।

अध्यक्ष ने पाया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y के अनुसार कोरम के लिए अपेक्षित न्यूनतम 21,303 सदस्यों अंशधारकों के उपस्थित नहीं होने के कारण कोरम मौजूद नहीं था। तत्पश्चात्, कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, अध्यक्ष ने बैठक में सदस्यों के शामिल होने के लिए आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

समय प्रातः 09:30 बजे, श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश है तथा प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश है उपस्थित थे। अध्यक्ष ने पाया कि कोरम अभी भी मौजूद नहीं था और घोषणा की कि कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों की आठवीं वार्षिक आम सभा स्थगित कर इसी स्थान पर आज ही अपने निर्धारित समय से 3 घंटे के बाद आयोजित की जाएगी और सभी सदस्य सभा में पुनः सम्मिलित होंगे।

समय दोपहर 12:00 बजे, श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव ने बताया कि सभा उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश हैं, उपस्थित थे। अध्यक्ष ने पाया कि कोरम के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या अभी भी उपस्थित नहीं है। तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आधे घंटे तक पुनः प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया।

समय दोपहर 12:30 बजे, श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव, ने बताया कि उपस्थिति पुस्तिका के अनुसार व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3,146 अंश हैं तथा प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के माध्यम से 2,250 सदस्य जिनके 1,30,943 अंश है, उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि व्यक्तिगत रूप से 45 सदस्य जिनके 3146 अंश है तथा प्रतिनिधि के माध्यम से 2,250 सदस्य है जिनके 1,30,943 अंश हैं, को ही कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार आठवीं वार्षिक आम सभा के लिए कोरम माना जाएगा। इसके बाद, उनके आदेश से सभा प्रारम्भ की गई।

अध्यक्ष महोदय ने कंपनी की आठवीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में सभी सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को अगवत कराया कि श्री सौगत मित्रा, श्री श्रीराम सिंह एवं श्री अशोक जावा बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्होंने सदस्यों को पुनः अवगत कराया कि अंकेक्षक भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे एवं उन्होंने अनुपस्थिति की स्वीकृति मांगी जो कि प्रदान की गई।

इसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय ने कंपनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़ने के साथ सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

श्री वरूण वर्मा, कंपनी सचिव ने घोषणा की कि, निदेशक मण्डल की समता अंशधारिता का रजिस्टर, प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का रजिस्टर, सदस्यों की समता अंशधारिता का रजिस्टर और वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण/जाँच के लिए सभागार के प्रवेश द्वार पर उपस्थित है, जो सदस्य उसका निरीक्षण करना चाहें, वह निरीक्षण कर सकते है। उन्होंने यह भी बताया कि ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी एवं ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

आठवीं वार्षिक आम सभा को बुलाने का नोटिस जोकि सदस्यों को पहले ही वितरित किया जा चुका था, जिसे सदस्यों की सर्व सम्मति से पढ़ा हुआ मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अपने संदेश को सदस्यों और बैठक में उपस्थित अन्य अतिथिगण को सुनाया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष की सहमति पर आठवीं वार्षिक आम सभा के नोटिस में निर्धारित कार्यसूची पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में निम्नांकित व्यापार के बारे में चर्चा की गई :

1. **31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना एवं उसे अपनाना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   श्री नारायण सिंह (फोलियो संख्या : 0106597) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

   प्रस्ताव संख्या : 01/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

   ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च, 2021 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण, शेड्यूल और नोट्स जो खातों का हिस्सा है, अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को अनुमोदित एवं अपनाया जाता है।''

   श्री सूरज सिंह चौहान (फोलियो संख्या : 0127608) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

   अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. **कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

   श्री हरेन्द्र कुमार (फोलियो संख्या : 0061081) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित

किया।

प्रस्ताव संख्या : 02/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिवेडेंड) कंपनी की समता अंश पूँजी रूपये 7/– प्रति समता अंश की दर से, 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लाभ में से 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 29,20,929 समता अंशों पर रू. 2.04 करोड़ वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये अनुमोदित किया जाता है। इसका भुगतान उन समता अंश धारकों को किया जायेगा। जिनका नाम 31 मार्च, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री प्रदीप कुमार (फोलियो संख्या : 0040713) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. **श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. : 07894230), जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताऐं पूर्ण करते हुये स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

श्री रणवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0089722) जो ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते है ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 03/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री शिव प्रताप (डी.आई.एन. : 07894230), जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री सचेन्द्र पाल सिंह (फोलियो संख्या : 0062264) जो ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–सी'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

4. **श्री राजकुमार शर्मा (डी.आई.एन.: 08198083), जो बोर्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

श्री नरेन्द्र कुमार (फोलियो संख्सा : 0006672) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 04/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी ने अंर्तनियमों के अनुच्छेद 9.6 तथा अन्य अर्न्तनियमों के अन्तर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA तथा अन्य प्रावधानों सहित किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश श्री राजकुमार शर्मा, निदेशक जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त हो रहे है तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, के स्थान पर श्री सुशील कुमार (डी.आई.एन. 09300081) को जो ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री संजीव कुमार (फोलियो संख्या : 0006956) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

5. **श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन : 08198050) जो बोर्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :**

प्रस्ताव संख्या : 05/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

श्री मुकेश (फोलियो संख्या : 0039763) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते है ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र सिंह (डी.आई.एन. : 08198050) जो बोर्ड में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होकर योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है, को कंपनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।''

श्री धुर्व (फोलियो संख्या : 0036147) जो ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको ''श्रेणी–ए'' के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्व सम्मति से पारित किया।

6. **वैधानिक अंकेक्षकों की पुन: नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करने के लिये विचार एवं अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव करना :**

श्री राजेश पाल सिंह (फोलियो संख्या : 0037131) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 06/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142 व अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हो के अनुसार मैसर्स एस.बी.बिल्लीमोरिया एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, गुरूग्राम, हरियाणा जिनकी आई. सी.ए.आई. पंजीकरण संख्या – **101496W** है, जो हमारे सेवानिवृत्त होने वाले अंकेक्षक है, उनकी पुन: नियुक्ति वैधानिक अंकेक्षक के रूप में पारिश्रमिक, जोकि प्रत्येक वर्ष के अन्त में निदेशक मण्डल व वैधानिक अंकेक्षकों को परस्पर स्वीकार हो एवं लागू जी.एस.टी. तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ आठवीं आम सभा की समाप्ति से लेकर ग्यारहवीं आम सभा की समाप्ति के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है।''

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (फोलियो संख्या : 0068629) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. **1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना एवं इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सामान्य पारित करना :**

श्री पंकज कुमार (फोलियो संख्या : 0069042) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 07/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट जैसा वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को अनुमोदित किया जाता है।''

श्री रणवीर सिंह (फोलियो संख्या : 0127455) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. **कंपनी के बहिर्नियम में उद्देश्य क्लॉज (वाक्य/परिच्छेद) में बदलाव कर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि**

सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :

श्री परमकांत (फोलियो संख्या : 0063886) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या : 08/आठवीं वार्षिक आम सभा : 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA, एवं धारा 13 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रासंगिक प्रावधानों (किसी भी वैधानिक संशोधन या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न अधिनियम) के साथ कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, अंशधारकों की सहमति से कंपनी के बहिर्नियम के मौजूदा क्लॉज (वाक्य/परिच्छेद) IIIA को बदलने के लिए निम्नलिखित नई वस्तु बिन्दु (उप वाक्य/उप परिच्छेद) 5 के रूप में जोड़कर और मौजूदा बिन्दु (उप वाक्य/उप परिच्छेद) 5 को नए बिन्दु 6 के रूप में परिवर्तित करने के लिए दिया जाता है।

''5 सदस्यों, मुख्यतः व अन्य लोगों से प्राथमिक उत्पाद और उसके व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) की खरीद, उत्पादन, प्रसंस्करण, बिक्री, व्यापार, आयात, निर्यात आदि का व्यवसाय करना, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य तेल, फल और सब्जियाँ शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, का विपणन करना और उन कार्यकलापों में व्यवहार करना, जो प्राथमिक उत्पाद से सम्बन्धित किसी गतिविधि का भाग है या उसके लिए प्रासंगिक है।''

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो।''

श्री भूदेव सिंह (फोलियों संख्या : 0074889) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. **कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना :**

श्रीमती शशी (फोलियो संख्या : 0128972) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया।

प्रस्ताव संख्या 09/आठवीं वार्षिक आम सभा 24.09.2021/2021–22

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रासंगिक प्रावधानों के

अनुसार, विशेष रूप से धारा 378–I, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो एवं धारा 31 सहित (कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों तथा समय–समय लागू होने वाले पुर्न अध्यादेशों) के साथ कंपनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, अंशधारकों की सहमति से कंपनी के अंतर्नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

अनुच्छेद 1.2, 1.3(i), 1.3(ii), 1.3(iii), 2.1(i), 2.1(vii), 2.1(ix), 2.1(xiii), 9.17, 9.18(ii)(k), 11.6(i)(c), 19.1 को निम्नानुसार और सीमा तक प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 2.1(viii) के बाद नया अनुच्छेद 2.1(viiia) सम्मिलित करने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 11.12(iii) को हटाने और नया अनुच्छेद 11.13 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

अनुच्छेद 1.2 : अधिनियम की अनुसूची 1 में लिखित विनिमय 45 से 47 को छोड़कर, तालिका 'F' में निहित कोई भी विनिमय, कंपनी पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 1.3(i) :– कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378A(1)के अनुसार कंपनी एक उत्पादक कंपनी है।

अनुच्छेद 1.3 (ii) :– एक निजी कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA में निर्दिष्ट के अलावा अधिनियम की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान, कंपनी पर लागू होंगे, और जैसे की यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां तक वे अधिनियम के भाग XXIA के प्रावधानों से असंगत नहीं है।

अनुच्छेद 1.3 (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378C (5) के अर्थ में कंपनी को एक निजी कंपनी माना जाता है और तदनुसार :

(क) निम्न प्रकार से कंपनी अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है।
(ख) कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों के आवेदन हेतु जन आमंत्रण प्रतिबंधित है।

अनुच्छेद 2.1(i) :– 'अधिनियम' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या समय–समय पर लागू होने वाला कोई वैधानिक संशोधन या पुर्न अधिनियम है।

अनुच्छेद 2.1 (vii) :– 'कंपनी' का अर्थ है सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड।

अनुच्छेद 2.1 (viiia) :– 'विशेषज्ञ निदेशक' का अर्थ अधिनियम की धारा 378P में निर्दिष्ट निदेशक से है,

अनुच्छेद 2.1 (ix) :– ''वित्तीय वर्ष'' का अर्थ हर साल मार्च के 31 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि से है, जिसके सम्बन्ध में कंपनी का वित्तीय विवरण बनाया जाता है।

अनुच्छेद 2.1 (xiii) :– ''पारस्परिक सहायता सिद्धांत'' का अर्थ है अधिनियम के अध्याय XXIA में निर्धारित सिद्धांत, और जैसा कि अनुच्छेद 3 में प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 9.17 :– बोर्ड के निर्णय के अनुसार, निदेशक बोर्ड और उसकी समितियों, यदि कोई अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित की गयी हो, की बैठकों में उपस्थिति के लिए यात्रा और होटल व्याय सहित शुल्क और भत्तों के हकदार हो सकते हैं।

अनुच्छेद 9.18 (ii) (k) :– आम बैठक में अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जाँच करने के लिए अधिनियम की धारा 378U के प्रावधानों के अनुसार एक नामांकन समिति की गठन करने के लिए और जैसा कि इन लेखों में प्रदान किया गया है, और तदनुसार पात्र सदस्यों को इसके विचार के लिए बोर्ड को अनुशंसा करते हैं। बदले में बोर्ड की बैठक में उचित विचार के बाद, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड पर निदेशक के पद के लिए सदस्यों की सिफारिश करेगा।

अनुच्छेद 11.6 (i) (c) :– किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त नहीं किया जाएगा जो सदस्य न हो। प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में नियुक्त सदस्य ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या की ओर से कार्य करेगा जो तीन सौ से अधिक नहीं होंगे और कंपनी की अंश पूँजी के कुल मिलाकर दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

अनुच्छेद 11.13 :– सामान्य बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय की सभी मदों को सामान्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 19.1 :– बोर्ड मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रबंध करेगा, कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड को दिये गए पिछले अधिकार के द्वारा या बोर्ड द्वारा नियुक्त एवं अधिकृत समिति के अलावा मुहर किसी भी दस्तावेज पर नहीं लगायी जाएगी, बोर्ड ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित/नियुक्त कर सकता है जो हर उस दस्तावेज पर कानून के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से हस्ताक्षर करें जिन पर उनकी उपस्थिति में मुहर लगाई गई है।

पुनः प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के मुख्य कार्यकारी या कंपनी सचिव को कंपनियों के रजिस्ट्रार के समक्ष सभी आवश्यक प्रपत्र दाखिल करने और ऐसे सभी कार्यों एवं गतिविधियों और चीजों को करने और ऐसे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है जो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।''

श्रीमती सावित्री (फोलियो संख्या : 0128921) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

रजनीश कुमार
अध्यक्ष
डी.आई.एन. 07894245

तिथि : 24 सितम्बर, 2021
स्थान : आगरा

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

वित्तीय वर्ष 2022–23 का बजट

आयगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022–23
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम/दिन	5.83
व्यापार (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद)	रुपये लाखों में	96,745.42
अन्य आय	रुपये लाखों में	686.04
कुल आय	रुपये लाखों में	97,431.46
(ब) व्यय		
माल की लागत रूपांतरण सहित	रुपये लाखों में	83,547.86
स्थित एवं परिवर्तनशील लागत	रुपये लाखों में	13,542.88
कुल व्यय	रुपये लाखों में	97,090.74
कर पूर्व लाभ (अ–ब)	रुपये लाखों में	340.72
	प्रतिशत (%)	0.35%

पूँजीगत बजट

विवरण	इकाई	वित्तीय वर्ष 2022–23
प्रयोगशाला उपकरण	रुपये लाखों में	660.15
सूचना प्रौद्योगिकी विवरण	रुपये लाखों में	70.19
दफ्तर के उपकरण	रुपये लाखों में	100.68
कुल व्यय	रुपये लाखों में	831.02

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail info@saahajmilk.com, Website www.saahajmilk.com

फॉर्म संख्या एम.जी.टी.–11

प्रतिनिधि फॉर्म (प्रॉक्सी फॉर्म)
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सी.आई. एन.	:	U01403UP2014PTC066595
कंपनी का नाम	:	सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय	:	क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लॉट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा–बोदला रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत
सदस्य(यों) का नाम	:	
रजिस्ट्रीकृत पता	:	
ई–मेल पता	:	
फोलियो संख्या	:	

मैं/हम ..... उपर्युक्त नामक कंपनी के अंशों (शेयरों) के सदस्य होते हुए द्वारा निम्न को नियुक्त करते है।

1. नाम :
   पता :
   ई–मेल पता :
   हस्ताक्षर : ..... या उनके न होने पर
2. नाम :
   पता :
   ई–मेल पता :
   हस्ताक्षर : .....

दिनांक 23 अगस्त, 2022 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में होने वाली कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा में मेरे/हमारे प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के रूप में निम्नवत दर्शित ऐसे संकल्पों (प्रस्तावों) के संबंध या उसके स्थान में मेरे/हमारे लिए भाग लेंगे एवं मतदान देंगे (मतदान में) :

मद संख्या	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विरोध में	तटहस्थ
1.	31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाते, रोकड़ प्रवाह विवरण तथा अंकेक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करके उन पर विचार करना।			
2.	कंपनी की समता अंश पूँजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3.	श्री अनिल कुमार (डी.आई.एन. : 07464066), जो ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
4.	श्री हरेन्द्र पाल सिंह (डी.आई.एन. : 08526484), जो बोर्ड में ''कोई श्रेणी नहीं'' के अन्तर्गत आते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार करना जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होंगे।			
5.	श्री शिव कुमार शर्मा (डी.आई.एन. : 08526410), जो बोर्ड में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जोकि चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त होकर, योग्यताएं पूर्ण करते हुए स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है।			
6.	1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कंपनी के बजट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
7.	कंपनी के अंतर्नियमों में संशोधन कर विचार कर उसका अनुमोदन एवं यदि सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित विशेष प्रस्ताव पारित करना।			

....., 2022 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक (कों) के हस्ताक्षर

प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर

टिकट चस्पा करें।

टिप्पणी : यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए सम्यक रूप से पूर्ण एवं कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)
रजि. कार्यालय : क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13,
आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, सिकन्दरा बोदला रोड,
आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300
E-mail info@saahajmilk com, Website www saahajmilk com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

नौंवी वार्षिक आम सभा – 23 अगस्त, 2022

रजिस्टर्ड फोलियो संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
16 अंकों का सदस्य कोड	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी का एक पंजीकृत सदस्य/पंजीकृत सदस्य/(सदस्यों) का प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) हूँ। मैं एतद्द्वारा होटल मधु रिजॉर्ट्स, सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश, भारत में मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को सुबह 11:00 बजे आयोजित होने वाली कंपनी की नौवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) का नाम

सदस्य/प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

नोट : सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची को वार्षिक आम सभा में लाएं और इसे विधिवत हस्ताक्षरित प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

वार्षिक आम सभा के स्थल का रूट मैप

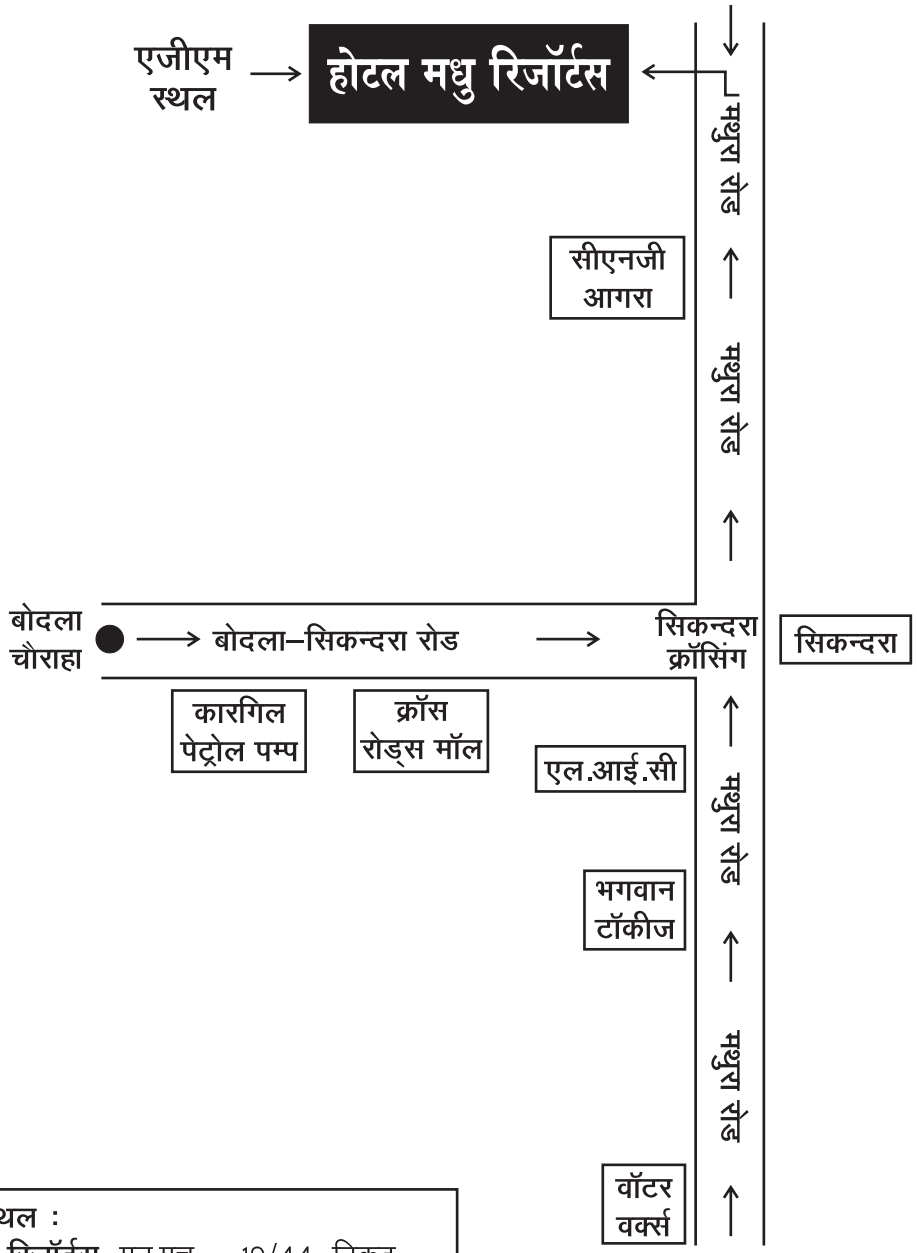

एजीएम स्थल :
होटल मधु रिजॉर्टस, एन.एच. – 19/44, निकट सिकन्दरा, मथुरा रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश–282007

नोट्स

नोट्स

नोट्स

सहज®

सहज सुदाना अपनाने के फायदे

सहज शुद्ध दानेदार देशी घी

सहज मिन अपनाने के फायदे

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

सहज मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(सी.आई.एन. : U01403UP2014PTC066595)

रजि. कार्यालय :– क्रॉस रोड्स मॉल, द्वितीय तल, प्लाट नं. 5 एवं 6, सेक्टर–13, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना सिकन्दरा बोदला रोड, आगरा–282007 उत्तर प्रदेश, भारत, दूरभाष नं. +91–0562–6623300

E-mail : info@saahajmilk.com, Website : www.saahajmilk.com

(प्राप्तकर्ता को प्राप्त न होने पर उक्त पते पर वापस भेंजे)